# हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्यालय निगम विहार शिमला–2 के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

## अंकेक्षण अवधि 04/2013 से 03/2014

## भाग–एक

1 **(क) प्रस्तावना :–**

निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश) को आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण नियम–2004 की धारा 28(3) के अन्तर्गत विहित प्रावधानों व हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या एच0एस0जी0–4(डी)1–1/92/2 दिनांक 13.09.2004 के अनुसार आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण हेतु अधिकृत किया गया। तदानुसार आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्यालय निगम विहार के लेखाओं अवधि 04/2013 से 03/2014 का अंकेक्षण एवं निरीक्षण का कार्य किया गया। अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्न द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव व मुख्य लेखा अधिकारी के पदों पर कार्य निष्पादित किया गया।

**(i) मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिवः–**

| क्र0सं0 | नाम | अवधि |
|---|---|---|
| 1 | Er. Aruna Gopta | 01.04.2013 to 28.07.2013 |
| 2 | Dr. Sunil Kumar Chaudhary, IAS | 29.07.2013 to 09.12.2013 |
| 3 | Er. Arun Gupta | 09.12.2013 to 31.12.2013 |
| 4 | Sh. Subhasish Panda, IAS | 02.12.2014 to 08.01.2014 |
| 5 | Dr. Sunil Kumar Chaudhary, IAS | 08.01.2014 to 31.03.2014 |

**(ii) मुख्य लेखा अधिकारीः–**

| क्र0सं0 | मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम | अवधि |
|---|---|---|
| 1 | Sh. Kamal Dev Sharma | 29.11.2012 to 12.02.2014 |
| 2 | Sh. Dhyan Singh Chauhan | 19.02.2014 to 30.03.2014 |
| 3 | Sh. Bhagat Ram Vyas | 31.03.2014 |

**(ख) हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मुख्यालय के लेखाओं अवधि 04/2013 से 03/2014 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण**

| क्रम संख्या | गम्भीर अनियमितता का संक्षिप्त विवरण | पैरा संख्या | राशि (₹) लाखों में |
|---|---|---|---|
| 1 | दिनांक 31.03.14 तक आबंटियों से ग्राउंड रैन्ट की राशि वसूली हेतु शेष। | 4 | 44.44 |
| 2 | विभिन्न आवासीय बस्तीयों में आंबटित फलैटों की देय राशि की वसूली न करना | 5 | 390.99 |
| 3 | धरोहर राशि को जब्त न करना | 5 (1) | 10.65 |
| 4 | लीज रेन्ट की कम वसूली | 5 (2) | 33.32 |
| 5 | M/S Vocational Education Foundation, New Delhi से दिनांक 31.3.2014 तक लीज रेन्ट की वसूली शेष | 5 (3) | 1289.18 |
| 6 | विभिन्न आंबटियों से ब्याज की वसूली न करना | 5 (4) | 2.26 |
| 7 | निर्माण मंडलों के अधीन हाउसिंग कलौनियों/स्कीमों से 31.3.14 तक Maintenance Charges की राशि वसूली हेतु शेष | 6 | 291.47 |
| 8 | निर्माण मंडलों के अधीन हाउसिंग कलौनियों/स्कीमों/कमर्शियल प्लाटों से दिनाँक 31.3.14 तक Water Charges की वसूली हेतु शेष राशि | 7 | 45.41 |
| 9 | विभिन्न विभागों से हाउसिंग स्कीमों के अन्तर्गत दिनांक 31.03.2014 तक व्यय की गई राशि वसूली हेतु शेष | 8 | 237.29 |
| 10 | Intererest Reseivable on FDRs Account लेखा शीर्षक में अनियमित समायोजन | 10 | 91.98 |
| 11 | सावधि निवेश की राशि ₹25.04 लाख को भुनाने (Encashed) के वर्षों उपरान्त रोकड़ बही में लेखांकन करना व Current Account में जमा करवाने के कारण ब्याज प्राप्ति की हानि | 10.1 | 8.08 |
| 12 | सावधि जमा लेखा का सत्यापन सम्बन्धित बैंकों के प्रमाण पत्रों से न करवाया जाना | 10.2 | 555.63 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13 | दिनांक 31.03.2014 तक के विभिन्न अग्रिमों का समायोजन न करने बारे | 11 | 112.75 |
| 14 | मुद्रण व लेखन सामग्री विभाग से 31.03.14 तक अग्रिम का समायोजन न किया जाना | 12 | 1.85 |
| 15 | विज्ञापन व्यय पर 15**%** कमीशन की कटौती न करके सरकारी राजस्व की हानि | 13 | 3.79 |
| 16 | गलत पदोन्नति के कारण अनियमित भुगतान बारे | 14 | 2.18 |
| 17 | चालको को विशेष भत्ते के रूप में अनियमित भुगतान | 15 | 0.28 |
| 18 | दिनांक 31.03.2014 तक आयकर दायित्व को निर्धारित न करने बारे | 20 | 1298.25 |
| 19 | निर्माण कार्यों की राशि को "Work Completed in hand" लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाये जाने बारे | 21 | 448.08 |
| 20 | दिनांक 31.03.2014 तक "Cash in Transit" लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाई गई राशि को वर्ष के दौरान समायोजित न करना | 22 | 208.56 |
| 21 | Imprest & CSS A/C-Cash Settlement Suspense A/C लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाई गई राशि को वर्ष के दौरान समायोजित न करने बारे | 23 | 72.91 |
| 22 | Interest Redemption A/C लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाई गई राशि को सम्बन्धित हाउसिंग स्कीम की लागत में वर्षों उपरान्त भी समायोजित न करने बारे | 24 | 366.16 |
| 23 | वित्तीय वर्ष 2013–14 के लेखों में Initial Deposit/Earnest Money लेखा शीर्षक के अन्तर्गत शेष (Balance) Debit दर्शाने बारे। | 25 | 2553.51 |
| 24 | मांग सर्वेक्षण (Demand Survey) से सम्बन्धित पूर्वानुमानित ब्याज दायित्व को वित्तीय वर्ष 2013–14 के तुलन–पत्र/लेखों में परिलक्षित न करने बारे | 26 | 183.05 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25 | वार्षिक लेखों में लेखा शीर्षक "Rectifiction (Cash Book) 1" के अन्तर्गत अनियमित समायोजन | 28 | 302.28 |
| 26 | पैन्शन भुगतान के सम्बन्ध में स्वतः स्पष्ट अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे | 29 (i) | 615.06 |
| 27 | अंशदायी भविष्य निधि सी0पी0एफ0 नियोक्ता अंशदान (नगर विकास प्राधिकरण) की राशि को अंशदायी भविष्य निधि के तुलन पत्र में परिलक्षित न करने बारे | 30 (iii) | 259.32 |
| 28 | प्रावधानों के विपरीत अनुबन्ध कर्मचारियो ंके अंशदायी भविष्य निधि में नियोक्ता शेयर को जमा करना | 30 (viii) | 10.16 |
| 29 | ग्रैचुइटी फंड की में निवेशित राशि से अनियमित कटौती बारे | 31 (i) | 0.82 |

## (ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :–

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में संलग्न **परिशिष्ट ''क''** में दर्शाई गई है। वर्ष 1984–85 से 2012–13 तक मुख्यालय से सम्बन्धित लगभग 322 पैरे शेष थे जिनका वर्ष वार विवरण निम्न प्रकार है :–

| क्रम संख्या | वर्ष | शेष पैरों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 1985–86 | 1 |
| 2 | 1990–91 | 3 |
| 3 | 1992–93 | 3 |
| 4 | 1996–97 | 1 |
| 5 | 1997–98 | 5 |
| 6 | 1998–99 | 1 |
| 7 | 1999–2000 | 5 |
| 8 | 2000–2001 | 11 |
| 9 | 2001–2002 | 13 |
| 10 | 2002–2003 | 7 |
| 11 | 2003–2004 | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| 12 | 2004–2005 | 12 |
| 13 | 2005–2006 | 14 |
| 14 | 2006–2007 | 8 |
| 15 | 2007–2008 | 15 |
| 16 | 2008–2009 | 14 |
| 17 | 2009–2010 | 29 |
| 18 | 2010–2011 | 50 |
| 19 | 2011–2012 | 54 |
| 20 | 2012–2013 | 21 |
| | **योग** | **268** |

**पूर्व शिमला विकास प्राधिकरण के मुख्यालय से सम्बन्धित पैरे**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 1989–90 | 1 |
| 2 | 1990–91 | 1 |
| 3 | 1991–92 | 3 |
| 4 | 1992–93 | 2 |
| 5 | 1993–94 | 2 |
| 6 | 1994–95 | 3 |
| 7 | 1995–96 | 5 |
| 8 | 1996–97 | 11 |
| 9 | 1997–98 | 11 |
| 10 | 1998–99 | 7 |
| 11 | 1999 से 2001 | 8 |
| | **योग** | **54** |

अतः मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण उपरोक्त अनिर्णीत आडिट पैरों में अपेक्षित कार्यवाही करने के उपरान्त निस्तारण करवाना सुनिश्चित करें।

## भाग–दो

## 2 वर्तमान अंकेक्षण :–

अवधि 4/2013 से 3/2014 तक के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य श्री बसंत सिंह कंवर, उप निदेशक, के पर्यवेक्षण में सर्व श्री अनिल शर्मा, रविन्द्र सिंह, मंजीत भाटिया अनुभाग अधिकारियों द्वारा दिनांक 15.01.2015 से 28.04.2015 तक प्राधिकरण मुख्यालय निगम बिहार शिमला–2 में किया गया। विस्तृत जाँच हेतु मास 3/14 के लेखों का चयन किया गया जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

"वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण प्राधिकरण के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं व अभिलेखों के आधार पर किया गया है। नियन्त्रण अधिकारी द्वारा दी गई गलत सूचनाओं अथवा सूचना उपलब्ध न करवाने के लिए लेखा परीक्षा विभाग उतरदायी नहीं होगा। लेखा परीक्षा विभाग का उत्तरदायित्व केवल चयनित मास तक ही सीमित है।"

## 3 अंकेक्षण शुल्क :–

अवधि 4/2013 से 3/2014 तक के आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के समस्त मण्डलों एवं मुख्यालय के लेखाओं के अंकेक्षण करने का शुल्क ₹481200.00 (चार लाख इक्यासी हजार दो सौ रूपये) आंका गया है। इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/चैक के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–9 को भिजवाने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव, आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण हिमाचल प्रदेश, शिमला–2 को पत्र संख्याःफिन (एल0ए0) एच) 2(सी) (15) (14) 115/87 खण्ड–13–4629 दिनाँक 11.8.2015 द्वारा अनुरोध किया गया।

## 4 दिनांक 31.03.14 तक आबंटियों से ग्राऊंड रैन्ट की राशि ₹44.44 लाख वसूली हेतु शेषः–

आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित विभिन्न आवास बस्तियों, कमर्शियल दुकानों एवं कार्यालयों इत्यादि के आबंटियों से ग्राऊंड रेन्ट की राशि प्रतिवर्ष प्राप्त की जानी अपेक्षित थी। ग्राऊंड रेन्ट प्राप्ति से सम्बन्धित अभिलेख की पड़ताल करने व अंकेक्षण में

उपलब्ध करवाई गई सूचना के आधार पर पाया गया कि आबंटियों से दिनांक 31.03.2014 तक ₹4443903/– की राशि वसूली हेतु शेष थी जिसका विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट 'ख'** में संलग्न है। जाँच करने पर यह भी पाया गया कि अधिकतम राशियाँ गत 20 वर्षों से वसूली हेतु लम्बित चली आ रही हैं इन राशियों की वसूली हेतु कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए। ग्रांऊड रैन्ट की वसूली हेतु शेष राशि ₹4443903/– का लेखांकन तुलन पत्र (बैलेन्स शीट) में न किया जाना एक गम्भीर अनियमितता है। यद्यपि अंकेक्षण द्वारा पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी इस सन्दर्भ में आपत्ति उठाई गई थी फिर भी इस त्रुटि के सुधार हेतु कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। तुलन पत्र में बकाया/अदत्त आय को न दर्शाए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। विगत वर्षों से लम्बित चली आ रही ग्राउंड रैन्ट की वसूली हेतु कोई भी ठोस प्रयास न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व भविष्य में लम्बित आय की वसूली हेतु ठोस पग उठाए जाएं।

**5 विभिन्न आवास बस्तीयों में आंबटित फ्लैटों की पिछले कई वर्षों से बकाया राशि ₹390.99 लाख की वसूली न करनाः–**

आंबटियों की खाता बहियों की टैस्ट चैक के आधार पर पड़ताल करने पर पाया गया कि विभिन्न आवासीय कलौनी में आंबटित फ्लैटों/प्लाटों के आबंटियों से ₹39099130/– की बकाया राशि कई वर्षों से वसूली हेतु लम्बित थी जिसका विवरण **परिशिष्ट "ग"** में दिया गया है। हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा इस राशि की वसूली हेतु दिनांक 31.03.2014 तक कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए थे। उक्त फ्लैटों/प्लाटों के आंबटन की शर्तों के अनुसार विक्रय राशि को प्राप्त न करने के कारण इनका आंबटन रद्द किया जाना व धरोहर राशि को नियमानुसार जब्त किया जाना अपेक्षित था। अतः कलौनियों के फ्लैट/पलाट को आबंटियों से देय राशि ₹39099130/– की वसूली ब्याज सहित करने तथा जिन आंबटियों से राशि प्राप्त नहीं हो रही है उनका आंबटन नियमानुसार रद्द करके, धरोहर राशि को नियमानुसार जब्त करने तथा रद्द किए गए प्लैट/प्लाट को पुनः बाजारी भाव पर आबंटित करने हेतु मामला उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य आवासीय कलौनियों जिनसे पिछले कई वर्षों से फ्लैट/प्लाट के विक्रय की बकाया राशि की वसूली लम्बित है का विवरण विभागीय तौर पर तैयार करके नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही की जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

## 5 (1) ₹10.65 लाख की धरोहर राशि को जब्त न करनाः–

विभिन्न आवास बस्तियों के आंबटित प्लाटों की खाताबहियों की टैस्ट चैक के आधार पर पड़ताल करने पर पाया गया कि ₹19842363/– मूल्य राशि के आंबटित प्लाट में से आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण को दिनांक 31.03.2014 तक केवल ₹1065902/– की धरोहर राशि की प्राप्ति हुई थी साथ ही इन आबंटित प्लाटों के आबंटियों से दिनांक 31.03.2014 तक ₹18776461/– की राशि देय थी। आवास बस्तियों/औद्योगिक क्षेत्र के आंबटन हेतु बनाए गए नियम 12 (iii) के अनुसार "यदि आंबटियों द्वारा प्लाट आबंटन की शर्तों का पालन नहीं किया जाता तो उनके द्वारा जमा धरोहर राशि को जब्त किया जायेगा।" हिमुडा द्वारा प्लाट आबंटन हेतु बनाई गई शर्तों के अनुसार यदि प्लाटों जिनका विवरण **परिशिष्ट "घ"** में दिया गया है, का आबंटन रद्द किया जाता तो उस स्थिति में एक तो धरोहर राशि को जब्त करके इन प्लाटों की पुनः नीलामी करके हिमुडा द्वारा अधिक राशि प्राप्त की जा सकती थी। अतः ₹19842363/– मूल्य के आंबटित प्लाट का आंबटन रद्द न करने व ₹1065902/– की धरोहर राशि को जब्त न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए, अन्यथा वर्तमान में इन प्लाटों का आबंटन रद्द करके व धरोहर राशि को जब्त किया जाये। इसी प्रकार के अन्य प्रकरणों में हिमुडा द्वारा अपने स्त्तर पर अपेक्षित कार्यवाही की जाये व कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

## 5 (2) लीज रैन्ट की राशि ₹33.32 लाख की कम वसूली करने बारेः–

इंडस्ट्रियल/कमर्शियल प्लाटस की खाता बहियों का टैस्ट चैक के आधार पर जाँच करने पर पाया कि आबंटियों से नियमानुसार Lease Rent की वसूली नहीं की गई थी। विवरण पुस्तिकाओं में दी गई शर्त संख्या 14 एवं 17 (5) के अनुसार इंडस्ट्रियल/कमर्शियल प्लाटस के आबंटियों से पूर्ण लागत की प्राप्ति के उपरान्त वार्षिक दर से लीज रेन्ट की वसूली की जानी अपेक्षित थी। परन्तु **परिशिष्ट "ङ"** में वर्णित प्रकरणों में गत कई वर्षों से इंडस्ट्रियल प्लाटस के आबंटियों से लीज रेन्ट की वसूली नहीं की गई थी। परिणामस्वरूप लीज रैन्ट की राशि ₹3331909/– आंबटियों से कम वसूली गई थी, जोकि अनियमित ही नहीं अपितु गम्भीर आपत्तिजनक भी है। अतः इस सम्बन्ध में आंबटियों से नियमानुसार Lease

Rent की वसूली नहीं करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए साथ ही इंडस्ट्रियल प्लाटस के आबंटियों से Lease Rent की वसूली शीघ्र की जानी सुनिश्चित की जाये। इसके अतिरिक्त इस प्रकार के अन्य प्रकरणों मे हिमुडा द्वारा अपने स्त्तर पर अपेक्षित कार्यवाही की जाये। कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**5 (3) M/S Vocational Education Foundation, New Delhi से दिनांक 31.3.2014 तक लीज रैन्ट सहित कुल राशि ₹1289.18 लाख वसूली हेतु शेषः–**

Commercial Allottee"s Ledger की पड़ताल करने पर पाया गया कि M/S Vocational Education Fundation Community Centre, East of Kailash, New Delhi-110065 को कालू झण्डा, बद्दी में दिनांक 30.08.2008 को तीन कमर्शियल प्लाटस आंबटित किए गए थे। निम्न विवरण के अनुसार उक्त संस्था से दिनांक 31.3.2014 तक ₹128918793/– की राशि Principal Amount, Lease Rent व Penal Interest के रूप में वसूल की जानी अपेक्षित थी। जाँच करने पर पाया गया कि यह राशि उक्त संस्था से गत पाँच–छः वर्षों से वसूली हेतु शेष है। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि हिमुडा द्वारा उक्त संस्था से इतनी अधिक बकाया राशि की वसूली हेतु कोई कदम नहीं उठाए गए थे जो कि गम्भीर चिन्ता का विषय है। यह सूचित किया जाना भी उचित होगा कि मान्य लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार उक्त राशि Current Asset है, जिसे हिमुडा के तुलन पत्र (Balance Sheet) की Assets Side में Sundry Debtors A/C लेखा शीर्षक के अन्तर्गत शामिल किया जाना आवश्यक है परन्तु हिमुडा द्वारा ऐसा नहीं किया गया है जिससे ₹128918793/– की राशि Sundry Debtors A/C लेखा शीर्षक के अन्तर्गत कम दर्शाई गई थी। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि हिमुडा का तुलन पत्र लेखों की वास्तविक स्थिति प्रस्तुत नहीं करता है। अतः उक्त राशि तथा इस प्रकार की अन्य समस्त बकाया राशियों की गणना हिमुडा द्वारा अपने स्त्तर पर करके तुलन पत्र की Assets Side में Sundry Debtors A/C लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाया जाना सुनिश्चित किया जाये। इसके अतिरिक्त उक्त राशि दिनांक 31.3.2014 तक किन कारणों से वसूल नहीं की गई का पूर्ण विवरण अंकेक्षण को उपलब्ध करवाया जाये। साथ ही यह प्रकरण हिमुडा के उच्चाधिकारियों के विशेष ध्यानार्थ उचित एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता हैः–

| | दिनांक 31.03.2014 को वसूली हेतु शेष राशि | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र0सं0 | आबंटी का नाम | प्लॉट का विवरण | खाता बही पृ0सं0 | मूल राशि | लीज रेट | दण्ड ब्याज | कुल राशि |
| 1 | Vocational Education Foundation, New Delhi, | Plot No. 7, Kallu Jhanda, Baddi आबंटन दिनांक 30.08. 2008 | 285 | 59332165 | 59740 | 11469230 | 70861135 |
| 2 | -do- | Plot No. 10, Kallu Jhanda, Baddi आबंटन दिनांक 30.08. 2008 | 287 | 29652650 | 38044 | 5578359 | 35269053 |
| 3 | -do- | Additional Land (6854.60 sqm) आंबटन दिनांक 04.08. 2009 | 286 | 18616748 | 13710 | 4158147 | 22788605 |
| | | | | | | **Total** | **128918793** |

**5 (4) विभिन्न आबंटियों से ब्याज की राशि ₹2.26 लाख की वसूली न करनाः–**

विभिन्न आबंटियों की खाता बहियों का टेस्ट चैक करने पर पाया गया आबंटियों को प्लाटों की अन्तिम लागत निर्धारित करने के उपरान्त शेष राशि जमा करने बारे सूचित किया गया था। परन्तु आबंटियों, जिनका विवरण **परिशिष्ट "च"** पर दिया गया है, द्वारा अन्तिम किश्त का भुगतान विलम्ब से किया गया। विलम्ब से जमा की गई राशियों पर हिमुडा द्वारा ब्याज की कोई भी वसूली नहीं की गई थी जबकि नियमानुसार इस तरह के मामलों में 14**%** की दर से ब्याज राशि की वसूली की जानी थी। इस प्रकार नियमों की अनदेखी करके आंबटियों द्वारा विलम्ब से भुगतान करने पर दिनांक 31.3.2014 तक ब्याज की राशि ₹226314/– की वसूली नहीं की गई। अतः नियमानुसार ब्याज की वसूली न करने बारे तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट करते हुए ब्याज की वसूली सम्बन्धित आंबटियों से तुरन्त की जानी सुनिश्चित की जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

**5 (5) आबंटियों से वसूली योग्य राशि (मूल एवं ब्याज) को लेखा शीर्षक "Account Receivables/Debtors" में शामिल न करने बारेः–**

वर्षांत 31.03.2014 को समस्त आंबटियों से उनको आबंटित प्लाटों/फ्लैटों से भविष्य में किश्तों के रूप में मूल प्राप्य राशि व विलम्ब से जमा राशियों पर प्राप्य ब्याज राशियों का कोई भी विवरण/शैडयूल हिमुडा द्वारा न तो तैयार किया गया था और न ही इसे तुलन पत्र में सम्पत्ति साईड के "Account Receivables/Debtors" में शामिल किया गया था। चूकिं हिमुडा के अन्तिम खाते दोहरी लेखा प्रणाली पर आधारित है, इस आधार पर वर्षांत पर विभिन्न व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा कितनी राशि का भुगतान किया जाना है तथा उनसे कितनी राशि प्राप्त करने हेतु शेष है का पूर्ण विवरण अन्तिम खातों में दिया जाना अपेक्षित है, जिससे कि तुलन पत्र की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके। परन्तु आंबटियों से प्राप्ति योग्य मूल व ब्याज राशि का कोई भी विवरण/शैडयूल तैयार न करना तथा इस राशि को तुलन पत्र में न दर्शाना अपने आप में एक गम्भीर अनियमितता है, जिसे हिमुडा के उच्चाधिकारियों के ध्यान में उचित कार्रवाई हेतु लाया जाता है। इसके साथ यह सुझाव दिया जाता है कि प्रत्येक वर्षांत को विभिन्न आंबटियों से प्राप्ति योग्य मूल व ब्याज राशियों के विवरण/शैडयूल तैयार करके तुलन पत्र में सम्पत्ति साईड के "Account Receivables/Debtors" में दर्शाया जाना सुनिश्चित किया जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

**5 (6) आबंटियों की खाताबहियों का दोहरी लेखा पद्धति के सिद्धान्तों के अनुसार रख–रखाव न करनाः–**

आबंटियों की खाताबहियों की पड़ताल पर पाया गया कि खाता बहियों का रख–रखाव दोहरी लेखा पद्धति के सिद्धांतों के अनुसार उचित प्रकार नहीं किया गया था, नियमानुसार जिन आबंटियों को फ्लैट/प्लाट का आबंटन किया गया उनसे जिस तिथि को राशि देय होगी उसकी प्रविष्टि डैबिट कॉलम में दर्शाई जानी अपेक्षित है तथा इन्सटालमैन्ट की राशि समय पर प्राप्त न होने की स्थिति में उस पर देय ब्याज की प्रविष्टि भी डेबिट कॉलम में दर्शाई जानी अपेक्षित है व आबंटित व्यक्ति से मूलधन व ब्याज की जितनी राशि शेष है उसकी प्रविष्टि खाताबही के शेष कॉलम में दर्शाई जानी अपेक्षित है। हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा आबंटियों से देय इन्स्टालमैन्ट की राशि की प्रविष्टि खाता बही के डेबिट कॉलम में नहीं की जा रही है न ही देय ब्याज की प्रविष्टि डेबिट कॉलम

में की जा रही है। आबंटियों से कुल कितनी राशि वसूली हेतु शेष है उसकी प्रविष्टि भी खाता बहियों के शेष कॉलम में नहीं दर्शाई जा रही है। आंबटियों के खातों में दोहरी लेखा पद्धति के सिद्धान्तों के अनुसार प्रविष्टि न करना एक गम्भीर अनियमितता है। यह मामला उच्च अधिकारियों के ध्यान में खाता बहियों का रख–रखाव नियमानुसार करने हेतु लाया जाता है ताकि खाताधारकों के खातों की उचित पड़ताल की जा सके। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

**6 विभिन्न निर्माण मंडलों के आधीन हाउसिंग कलौनियों/स्कीमों से दिनाँक 31.3.14 तक Maintenance Charges की राशि ₹291.47 लाख वसूली हेतु शेषः–**

वित्तीय वर्ष 2013–14 की Balance Sheet के Shedule XXXIX-Maintenance Charges Receivable लेखा शीर्षक के अन्तर्गत ₹29146780/– Dr. की राशि को दर्शाया गया था। जाँच करने पर पाया गया कि निर्माण मण्डलों द्वारा इस लेखा शीर्षक के अन्तर्गत पूरे वर्ष के दौरान नाममात्र की वसूली की गई थी या कोई वसूली नहीं की गई थी। वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान उपभोक्ताओं से Maintnance Charges वसूल न करना एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 50/2015 दिनांक 12.03.2015 द्वारा आवश्यक सूचना माँगी गई थी, परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक इस सम्बन्ध में कोई प्रतिउत्तर हिमुडा अधिकारियों द्वारा नहीं दिया गया। अतः वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान Maintenance Charges की नाम मात्र की वसूली करने को न्यायोचित ठहराया जाए। साथ ही इस सम्बन्ध में सम्बन्धित निर्माण मण्डलो को भी Maintenance Charges की शीघ्र अतिशीघ्र वसूली हेतु आवश्यक निर्देश दिये जाए।

| Particulars | Opening Balance | Closing Balance | Remarks |
|---|---|---|---|
| Maintenance Charges Receivable | 2661543 | 2606251 | |
| Maintenance & Water Charges Receivable A/C Shimla Div-1 | 132759 | 132759 | |
| Maintenance Charges Receivable A/C | (-) 98806 | 1246 | |
| Maintenance Charges Receivable A/C Parwanoo Devision | 9435753 | 122698837 | |

| | | |
|---|---|---|
| Maintenance Charges Receivable A/C | 2686911 | 2686911 |
| Maintenance Charges Receivable A/C Dharamshala Division | 17404962 | 11449776 |
| **Total** | **32223122** | **29146780** |

**7 निर्माण मंडलों की हाउसिंग कलौनियों/स्कीमों/कमर्शियल प्लाटों से दिनांक 31.3.14 तक Water Charges की राशि ₹45.41 लाख की वसूली शेषः–**

वित्तीय वर्ष 2013–14 की Balance Sheet के Schedule XXXVI Water Charges Receivable लेखा शीर्षक के अन्तर्गत ₹4541727 Dr. की राशि को दर्शाया गया था। वित्तीय वर्ष 2013–14 के शुरू में यह ₹4010214/– Dr. की राशि थी, जबकि वर्ष के अन्त में यह बढ़कर ₹4541727/– हो गई। जाँच करने पर पाया गया कि निर्माण मण्डलों द्वारा इस लेखा शीर्षक के अन्तर्गत पूरे वर्ष किसी भी प्रकार वसूली नहीं की गई थी, जैसा कि निम्न सारणी से स्पष्ट है। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 49/2015 दिनांक 12.03.2015 द्वारा आवश्यक सूचना माँगी गई थी परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक हिमुडा अधिकारियों द्वारा कोई प्रतिउत्तर नहीं दिया गया। अतः उपभोक्ताओं से Water Charges की वसूली न करने को न्यायोचित ठहराया जाए तथा सम्बन्धित निर्माण मण्डलों को उपभोक्ताओं से देय water charges की राशि को शीघ्र अतिशीघ्र वसूली करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी करें।

| Particulars | Opening Balance | Closing Balance |
|---|---|---|
| Water Charges Receivable | 156897 | 987638 |
| Water Charges Receivable- Shimla Div-2 | 64550 | 64550 |
| Water Charges Receivable A/C Mandi Division | 18553 | 18553 |
| Water Charges Receivable A/C Parwanoo Division | 3770214 | 3470986 |
| **Total** | **4010214** | **4541727** |

**8 विभिन्न विभागों से हाउसिंग स्कीमों के अन्तर्गत दिनांक 31.03.2014 तक व्यय की गई राशि ₹237.29 लाख वसूली हेतु शेषः–**

वित्तीय वर्ष 2013–14 की Balance Sheet के Schedule XXXXIII-Recoverable Amount On A/C of Other Dept. Schemes की जाँच करने पर पाया गया कि इस लेखा शीर्षक के अन्तर्गत ₹23728539/– Dr. की राशि दर्शाई गई थी। इस राशि का पूर्ण विवरण निम्न दिया

गया है। निम्न सारणी से स्पष्ट है कि वर्ष 2013–14 के दौरान कई विभागों से हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत कोई भी वसूली नहीं की गई थी। वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान किसी भी प्रकार की वसूली न करना अपने आप में एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 40/2015 दिनांक 09.03.2015 द्वारा इस राशि को वसूल करने हेतु किए गए प्रयासों बारे आवश्यक सूचना माँगी गई थी, परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक इस सम्बन्ध में हिमुडा अधिकारियों द्वारा कोई सूचना प्रदान नहीं की गई। अतः सम्बन्धित विभागों से वर्ष 2013–14 के दौरान किसी भी प्रकार की वसूली न करने को न्यायोचित ठहराया जाए। अतः इन विभागों से वसूली हेतु विशेष प्रयास किए जाए। कृत कार्यवाही से इस विभाग को सूचित किया जाए।

| Particulars | Opening Balance | Closing Balance |
|---|---|---|
| Receipt-Police Rental Housing Scheme | 239458627.00 Cr. | 239458627.00 Cr. |
| Deposit Work for Navodya Vidyalaya | 9379963.16 Dr. | 9379963.16 Dr. |
| Govt. Rental Housing Scheme (Part-1) | 4407641.29 Dr. | 5724622.29 Dr. |
| Police Rental Housing Scheme | 247350997.55 Dr. | 248082580.55 Dr. |
| **Total** | **21679975.00 Dr.** | **23728539.00 Dr.** |

## 9 निक्षेप कार्यों (Deposit Works) लेखा शीर्षक के अन्तर्गत राशि ₹6143.81 लाख व्यय हेतु शेष होने के कारण विभागीय प्रभार की परोक्ष हानि बारेः–

Deposit Works लेखा शीर्षक के अन्तर्गत वह राशि दर्शाई जाती है जो HIMUDA के पास चालू वित्तीय वर्ष या पूर्व के वर्षों के दौरान विभिन्न उपभोक्ता विभागों द्वारा निर्माण कार्यो हेतु जमा करवाई गई थी। Deposit Work लेखा शीर्षक के Schedule XVIII की जाँच करने पर पाया गया कि दिनांक 31.3.14 को ₹614381755.45 की राशि को Deposit Work लेखा शीर्षक में Credit शेष दर्शाया गया था जिसका योजनावार विवरण परिशिष्ट (छ) में दिया गया है। परिशिष्ट के अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि हिमुडा द्वारा वर्ष 2013–14 के दौरान डिपोजिट कार्यों के लिए प्राप्त राशि के ₹8277.49 लाख के विरूद्ध राशि ₹8708.71 लाख का व्यय करने के कारण गत वर्षों में प्राप्त राशि में से केवल ₹431.22 लाख व्यय किए गए। इस प्रकार गत वर्षों में प्राप्त राशि को पूर्णतय व्यय न करने के कारण हिमुडा को विभागीय प्रभार के रूप में प्राप्त होने वाली आय को परोक्ष हानि हुई। अतः निक्षेप कार्यों के लिए गत वर्षों में

प्राप्त राशि को पूर्णतय व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्यवाही से इस विभाग को सूचित किया जाए।

## 10 मुख्य कार्यालय (सावधि जमा लेखा):–

मुख्य कार्यालय के सावधि जमा लेखा की पड़ताल करने पर निम्न अंकेक्षण आपत्तियाँ पाई गईः–

**Interest Receivable on FDRs Account लेखा शीर्षक में राशि 91.98 लाख का अनियमित रूप से समायोजन करनाः–**

मान्य लेखांकन सिद्धानतों के अनुसार "TDS on interest on FDR Adjustable Account" शीर्षक के अन्तर्गत वह राशि दर्शाई जाती है जो सम्बन्धित बैंकों द्वारा FDRs के अर्जित ब्याज पर TDS के रूप में कटौती की गई हो और जिनके सम्बन्ध में आयकर देनदारी फाईनल नहीं हुई है। इस शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाई गई राशि को संस्था की Balance Sheet (Current Assets) शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाया जाता है।

जाँच करने पर पाया गया कि वाउचर संख्या 126 दिनांक 31.03.2014 द्वारा "Interest Receivable on FDRs Account" को ₹9198971.00 की राशि से क्रेडिट और "TDS on interest on FDR Adjustable Account" को ₹9198971/– की राशि से डेबिट किया गया था। जबकि पूर्व के वर्ष अर्थात 2012–13 के दौरान इस राशि को Fixed Deposit (HIMUDA) Schedule XIII में "TDS on interest on FDR Adjustable Account" शीर्षक के अन्तर्गत क्रेडिट किया गया दर्शाया गया था। परन्तु वर्ष 2013–14 के दौरान वाउचर संख्या 126 दिनांक 31.3.14 के द्वारा TDS on interest on FDR Adjustable Account" में समायोजित कर दिया गया, जबकि इस राशि के सम्बन्ध में आयकर देनदारी अभी फाईनल नहीं हुई है, जैसा कि अंकेक्षण में उपलब्ध अभिलेखों से स्पष्ट था। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 18/2015 दिनांक 23.02. 2015 के माध्यम से आवश्यक सूचना माँगी गई थी अंकेक्षण अधियाचना के प्रतिउत्तर में हिमुडा अधिकारियों ने पत्र संख्या Accounts/319/BSS/2012-46777 दिनाक 12.03.2015 द्वारा सूचित किया कि यह राशि गत वर्षों से बैंकों द्वारा FDR interest पर कटौती की गई टीडीएस की राशि है जो वाउचर संख्या 126 द्वारा Interest Receivable Account में समायोजित की गई है। अंकेक्षण को हिमुडा अधिकारियों का यह कथन मान्य नहीं है क्योंकि यदि यह टीडीएस की राशि गत वर्षों से सम्बन्धित है तो इस राशि को गत वर्षों के दौरान ही समायोजित किया

जाना चाहिए था साथ ही इस राशि को Interest Receivable on FDRs Account लेखा शीर्षक में समायोजित किए जाने से पहले वर्ष अनुसार बैंकों द्वारा कटौती की गई टीडीएस की राशि का विवरण तैयार किया जाना अपेक्षित था, जिसकी जाँच करने से यह ज्ञात होता है कि यह राशि पूर्व के वर्षों में समायोजित नहीं की गई थी। परन्तु ऐसा न करके हिमुडा अधिकारियों द्वारा वर्ष 2013–14 के दौरान "TDS on interest on FDR Adjustable Account" शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाई गई ₹9198971/– की राशि को "Interest Receivable on FDRs Account" में अनियमित ढ़ंग से समायोजित किए गया। अतः "TDS on interest on FDR Adjustable Account" में अनियमित ढ़ंग से समायोजित किए जाने का औचित्य उचित कारणों व तथ्यों सहित स्पष्ट किया जाए। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाए कि क्या इस शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाई गई ₹9198971/– राशि के सम्बन्ध में आयकर देनदारी फाइनल हो चुकी है। अनुपालना से अंकेक्षण को शीघ्र सूचित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

**10.1 सावधि निवेश की राशि 25.04 लाख को भुनाने (Encashed) के वर्षों उपरान्त रोकड़ बही में लेखांकन करना व इस राशि को Current Account में जमा करवाने के कारण ब्याज राशि ₹8.08 लाख की हानि बारे।**

सावधि निवेश रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि रजिस्टर के पृष्ठ 20 व 21 पर आई0सी0आई0सी0आई0 बैक, शिमला में और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दी मॉल शिमला में क्रमशः (₹1201671+₹1335179=2536850) का निवेश दर्शाया गया था जिसका विवरण निम्न दिया गया है। परन्तु किए गए निवेश के सम्बन्ध में कोई भी विवरण अर्थात किस तिथि को राशि निवेश की गई, कितनी अवधि के लिए निवेश किया गया और किस ब्याज दर से निवेश किया गया का कोई उल्लेख नहीं पाया गया। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 20/2015 दिनांक 23.02.2015 के माध्यम से आवश्यक सूचना माँगी गई थी इस अंकेक्षण अधियाचना के प्रतिउत्तर में हिमुडा अधिकारियों ने पत्र संख्या HIMUDA/Cash/2013-14 दिनांक 09.03.2015 द्वारा सूचित किया कि आई0सी0आई0सी0आई0 बैक, शिमला में FDR No. 6353 9161 में निवेशित ₹1191571/– की राशि को दिनांक 10.04.2006 को Pre-Mature encashed करवा कर प्राप्त ब्याज सहित कुल ₹1201671/– की राशि को HIMUDA के Union Bank Of India, Shimla के Current Account No. 18077 में जमा किया गया था। इसके अतिरिक्त स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दी मॉल शिमला की FDR No. 853118 में निवेशित राशि ₹1312715/– को

दिनांक 13.04.2006 को Pre-Mature encashed करवा कर ब्याज की राशि सहित कुल राशि ₹1335179/– को HIMUDA के SBI, Shimla के Current Account No. 231 में जमा किया गया था। इन दोंनों राशियों को रोकड़ बही में वाउचर संख्या 2064 दिनांक 11.03.2014 के द्वारा ब्याज सहित पृष्ठ संख्या 67 पर लेखाकिंत किया गया है। जबकि यह राशियाँ क्रमशः दिनांक 10.04.2006 और 13.04.2006 को प्राप्त की गई थी। साथ ही इन राशियों को Current Account में जमा करवाया गया जिस कारण इन राशियों पर ब्याज की प्राप्ति नहीं हुई। इस प्रकार दिनांक 10.04.2006 और 13.04.2006 को प्राप्त राशि दिनांक 11.03.2014 को रोकड़ बही में लेखाकिंत किया जाना अपने आप में एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है इन राशियों को Current Account में जमा करवाने के कारण HIMUDA को ₹807600/– की राशि के ब्याज की हानि हुई (विवरण निम्न दिया गया हैं) अतः यह मामला नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाने हेतु उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यानार्थ लाया जाता है।

| Name of Bank | Amount of FDR Encashed | Date of encashed | Period for which amount kept in Current Account up to 31.03.2014 | Rate of Interest of Saving | Amount of Interest |
|---|---|---|---|---|---|
| ICICI Bank FDR No. 6353 9161 | 1201671 | 10.04.2006 | 7 Years 11 months 22 Days | 4% | 382831 |
| SBI FDR No. 853118 | 1335179 | 13.04.2006 | 7 Years 11 months 18 Days | 4% | 424769 |
| **Total** | **₹2536850** | | | | **₹807600** |

## 10.2 ₹555.63 लाख की राशि के सावधि जमा लेखा का सत्यापन सम्बन्धित बैंकों के प्रमाण पत्रों से न करवाया जानाः–

सावधि निवेश लेखें की जाँच करने पर पाया गया कि हिमुडा द्वारा दिनांक 31.03.2014 को विभिन्न बैंकों के सावधि लेखों में राशि ₹55562618/– जमा दर्शाई गई थी (निवेशित राशि का विवरण निम्न दिया गया है) परन्तु इस राशि का सत्यापन सम्बन्धित बैकों द्वारा जारी सावधि निवेश प्रमाण पत्रों से नहीं करवाया गया। सावधि लेखा के शैडयूल और सावधि जमा रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि जमा राशियों की उचित सूचना स्वतः स्पष्ट रूप में नहीं दर्शाई गई थी। लेखों से यह स्पष्ट नहीं होता कि समय–समय पर किए गए निवेश की क्या स्थिति थी, जिस कारण किए गए निवेश की उचित जौंच किया जाना सम्भव नहीं हो

पाया। सावधि निवेश का आवश्यक सत्यापन बैंकों द्वारा जारी प्रमाण पत्रों से न करवाए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं आवश्यक प्रमाण पत्र अविलम्ब प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण के दौरान पुष्टि करवाई जाए। उपरोक्त प्रकरण आवश्यक उचित कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के ध्याना में लाया जाता है।

| Name of Bank, FDR No. | Date of Investment | Amount of Maturity on Dated 31.03.2014 |
|---|---|---|
| HP State Cooperative Bank, 0134 | 13.01.2012 | 12882087 |
| HP State Cooperative Bank, 04507 | 06.04.2011 | 38935262 |
| Yes Bank, 266 | 01.10.2010 | 3745269 |
| **Total** | | **55562618** |

## 10.3 सावधि निवेश से सम्बन्धित सूचना सावधि निवेश रजिस्टर व तैयार शैडयूल में स्वतः स्पष्ट रूप से न दर्शाया जानाः–

हिमुडा द्वारा समय–समय पर किए गए सावधि निवेशों की जाँच करने पर पाया गया कि किए गए निवेशों से सम्बन्धित सूचना यथा लागू ब्याज दर, निवेश अवधि, परिपक्वता पर प्राप्त/बैंक द्वारा दी गई राशि, पुनः निवेश की स्थिति में लागू ब्याज दर, समय अवधि का स्वतः स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया था जिस कारण सावधि लेखों बारे सही स्थिति स्पष्ट नहीं होती। इसके अतिरिक्त पुनः निवेशित राशियों की स्थिति के सम्बन्ध में तैयार किए गए शैडयूल में पूर्व अवधि बारे उचित सूचना न दर्शाकर केवल वर्तमान सूचना का ही उल्लेख किया गया है उदाहरणार्थ निवेश वर्ष 2006 में किया गया जोकि वर्ष 2008 में परिपक्वता पर इसे पुनः निवेशित कर दिया गया परन्तु तैयार शैडयूल में इस सम्बन्ध में कोई भी स्थिति न दर्शाकर केवल वर्ष 2008 को किए गए पुनः निवेश की सूचना ही दर्शाता है। यद्यपि इस सम्बन्ध में गत वर्षों से अनेक आपत्तियाँ उठाई गई थी फिर भी हिमुडा अधिकारियों द्वारा कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। सावधि निवेश रजिस्टर तथा तुलन पत्र के साथ संलग्न शैडयूल उचित प्रकार से तैयार न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। मामला आवश्यक कार्रवाई हेतु पुनः उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाया जाता है।

## 11 दिनांक 31.03.2014 तक राशि ₹112.75 लाख के विभिन्न अग्रिमों की वसूली/समायोजन न करने बारेः–

विभिन्न अग्रिमों की पड़ताल Balance Sheet के साथ संलग्न Schedule-XXXVII, Lons & Advances से करने पर पाया गया कि निम्नलिखित राशियाँ विभिन्न अग्रिमों के रूप में

पिछले वर्षों से वसूली/समायोजन हेतु लम्बित थी। अंकेक्षण में उपलब्ध करवाए गए अभिलेखों से यह स्पष्ट नहीं होता कि वास्तव में यह राशियाँ कब से व किन अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम से समायोजन हेतु लम्बित है। अतः अग्रिमों की वास्तविक अदायगी का तिथिवार विवरण अंकेक्षण के दौरान उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही इस सम्बन्ध में इन अधिकारियों/कर्मचारियों/विभागों द्वारा दिनांक 31.03.2014 तक समायोजन लेखा प्रस्तुत न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–साथ ₹11275472.32 के विभिन्न अग्रिम भुगतानों का सम्बन्धित कर्मचारियों से दण्ड ब्याज सहित वसूली करके समायोजन किया जाना सुनिश्चित किया जाए इसके अतिरिक्त सम्बन्धित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए जो इन अग्रिमों को समायोजित करवाने के लिए जिम्मेदार थे तथा अनुपालना से अंकेक्षण को शीघ्र अवगत करवाया जाए।

| **Type of Advance** | **Opening Balance as on 01.04.2013** | **Closing Balance as on 31.03.2014** | **Remarks** |
|---|---|---|---|
| | **LTC Advance** | | |
| Dharamshala Division | 1500.0 Dr. | 1500.00 Dr. | वर्ष 2013–14 के दौरान समायोजन करने हेतु कोई प्रयास नहीं किए गए |
| HIMUDA Head Office | 18390.50 Dr. | 19766.50Dr. | |
| | **Medical Advance** | | |
| HIMUDA Head Office | 32216.57 Dr. | 151660.57 Dr. | |
| Professional Advance | 0.00 | 65625.00 Dr. | |
| | **Pay Advance** | | |
| Dharamshala Division | 1572.00 Dr. | 1572.00 Dr. | वर्ष 2013–14 के दौरान समायोजन करने हेतु कोई प्रयास नहीं किए गए |
| Parwanoo Division | 3191.00 Dr. | 3191.00 Dr. | वर्ष 2013–14 के दौरान समायोजन करने हेतु कोई प्रयास नहीं किए गए |

**TA Advance**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Mandi Division | 2125.00 Cr. | 555579.00 Dr. | |
| Parwanoo Division | 9471.35 Dr. | 9471.35 Dr. | वर्ष 2013–14 के दौरान समायोजन करने हेतु कोई प्रयास नहीं किए गए |
| HIMUDA Head Office (TTA) | 3078.00 Dr. | 3078.00 Dr. | वर्ष 2013–14 के दौरान समायोजन करने हेतु कोई प्रयास नहीं किए गए |
| HIMUDA Head Office (TA) | 128464.15 Dr. | 131364.15 Dr. | |

**Festival Advance**

| | | | |
|---|---|---|---|
| HIMUDA Head Office | 1817.00Dr. | 1517.00 Dr. | वर्ष 2013–14 के दौरान समायोजन करने हेतु कोई प्रयास नहीं किए गए |
| Parwanoo Division | 1850.00 Dr. | 1700.00 Dr. | वर्ष 2013–14 के दौरान समायोजन करने हेतु कोई प्रयास नहीं किए गए |
| Hamirpur Electric Division | 750.00 Dr. | 750.00 Dr. | वर्ष 2013–14 के दौरान समायोजन करने हेतु कोई प्रयास नहीं किए गए |
| Mandi Division | 600.00 Dr. | 600.00 Dr. | वर्ष 2013–14 के दौरान समायोजन करने हेतु कोई प्रयास नहीं किए गए |

**House Building Advance**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dharamshala | 162720.00 Dr. | 149088.00 Dr. | |
| Shimla Division-I | 1204870.00 Dr. | 1627914.00 Dr. | |
| Shimla Division-II | 132617.00 Cr. | 104351.00 Dr. | |
| Electric Division Shimla | 1097785.00 Dr. | 1097785.00 Dr. | वर्ष 2013–14 के दौरान समायोजन करने हेतु कोई प्रयास नहीं किए गए |
| Parwanoo Division | 228833.00 Dr. | 205749.00 Dr. | |
| Shimla Division-II | 847977.00 Dr. | 847977.00 Dr. | वर्ष 2013–14 के दौरान समायोजन करने हेतु कोई प्रयास नहीं किए गए |
| HIMUDA Head Office | 2630884.00 Dr. | 2572084.00 Dr. | |

**Motor Car/Scooter Advance**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Shimla Division-I | 130234.00 Dr. | 130234.00 Dr. | वर्ष 2013–14 के दौरान समायोजन करने हेतु कोई प्रयास नहीं किए गए |
| Shimla Division-II | 12742.00 Dr. | 12742.00 Dr. | वर्ष 2013–14 के दौरान समायोजन करने हेतु कोई प्रयास नहीं किए गए |
| Electric Division Shimla | 46400.00 Dr. | 46400.00 Dr. | वर्ष 2013–14 के दौरान समायोजन करने हेतु कोई प्रयास नहीं किए गए |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Parwanoo Division | 11561.00 Dr. | 11561.00 Dr. | वर्ष 2013–14 के दौरान समायोजन करने हेतु कोई प्रयास नहीं किए गए |
| | **Staff Advance** | | |
| Dharamshala | 178812.00 Dr. | 582881.00 Dr. | |
| Shimla Division-I | 396349.00 Dr. | 651990. 00 Dr. | |
| Shimla Division-II | 18555.00 Dr. | 72573. 00 Dr. | |
| Mandi Division | 31914.00 Dr. | 369404. 50 Dr. | |
| Parwanoo Division | 2388.00 Dr. | 20000. 00 Dr. | |
| Electric Division Shimla | 327799.04 Dr. | 509467. 04 Dr. | |
| HIMUDA Head Office Shimla | 7060.46 Dr. | 450921.46 Dr. | |
| Electric Division Hamirpur | 64813.00 Dr. | 73506. 00 Dr. | |
| Education Loan & Advance-HIMUDA Head Office Shimla | 0.00 | 146250. 00 Dr. | |
| | **Warm Cloth Advance** | | |
| Dharamshala Division | 55644. 00 Dr. | 65345.00 Dr. | |
| Parwanoo Division | 54200. 00 Dr. | 40800. 00 Dr. | |
| Electric Division Hamirpur | 1179. 00 Dr. | 8279. 00 Dr. | |
| Shimla Division-I | 69184. 00 Dr. | 93610. 00 Dr. | |
| Shimla Division-II | 69825. 00 Dr. | 35175. 00 Dr. | |
| HIMUDA Head Office Shimla | 85362.75 Dr. | 400062.75 Dr. | |
| Mandi Division | 51759. 00 Dr. | 1948.00 Dr. | |
| Total | 7857008.78 Dr. | 11275472.32 Dr. | |

## 12 मुद्रण व लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश के खाते में दिनांक 31.03.2014 तक अग्रिम राशि ₹1.85 लाख का समायोजन शेषः–

लेखा शीर्ष "Advance to Printing & Stationery Deptt." Schedule-XXXVII Loans & Advances की जाँच करने पर पाया गया कि मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश के नाम दिनाँक 31.3.14 तक राशि ₹185843.94 समायोजन हेतु शेष थी वर्ष 2003–2004 से इस राशि की स्थिति निम्न प्रकार थीः–

| खाता | वित्तीय वर्ष | अग्रिम राशि (₹ में) | वर्ष में समायोजित | वर्षान्त में बकाया राशि |
|---|---|---|---|---|
| 485 | 2003–2004 | 166342.94 | 101740.00 | 64602.94 |
| 491 | 2004–2005 | 185593.00 | 206307.00 | 43888.94 |
| 404 | 2005–2006 | 200000.00 | 181218.00 | 62670.94 |
| 121 | 2006–2007 | 250000.00 | 239020.00 | 73650.94 |
| 472 | 2007–2008 | 375000.00 | 314135.00 | 134515.94 |
| 437 | 2008–2009 | 350000.00 | 139788.00 | 344727.94 |
| 562 | 2009–2010 | 300000.00 | 286756.00 | 357971.00 |
| 523 | 2010–2011 | 150000.00 | 135896.00 | 372075.00 |
| 445 | 2011–2012 | 200000.00 | 280389.00 | 291686.94 |
| शैडयूल XXII | 2012–2013 | 255000.00 | 268864.00 | 277822.94 |
| शैडयूल XXXII | 2013–2014 | 80000.00 | 171979.00 | 185843.94 |

उपरोक्त विवरण से स्वतः स्पष्ट होता है कि मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग को अग्रिम राशियों का भुगतान उनके पास शेष राशि होने पर भी किया गया था जो दिनांक 31.03.2014 तक ₹185843.94 थी। अतः इस राशि का समायोजन मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभागों के साथ लम्बी अवधि से न किया जाना एक गम्भीर अनियमितता है। इस अन्त शेष बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 23/2015 दिनांक 27.02.2015 द्वारा हिमुडा अधिकारियों को वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु सूचित किया गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक इस सम्बन्ध में कोई सूचना अंकेक्षण दल को प्रेषित नहीं की गई। यद्यपि इस सम्बन्ध में पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी आपत्ति उठाई गई थी फिर भी राशि के समायोजन हेतु कोई ठोस

कार्यवाही नहीं की गई। अतः उपरोक्त वर्णित गम्भीर त्रुटि आवश्यक छानबीन एवं निपटारे हेतु उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाई जाती है तथा यह सुझाव दिया जाता है कि इस अन्तिम शेष बारे मुद्रण लेखन एवं सामग्री विभाग हिमाचल प्रदेश से वित्तीय वर्ष के अन्त में प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए जिससे इस अन्त शेष की सत्यता प्रमाणित हो सके।

**12.1 मुद्रण व लेखन सामग्री विभाग, हिमालच प्रदेश को लेखन सामग्री की खरीद हेतु दिये गए ₹1.00 लाख की राशि के अग्रिम (Advance) को वार्षिक लेखों में Printing & Stationery Expenses लेखा शीर्षक के अन्तर्गत लेखाकिंत किए जाने बारेः—**

लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार यदि वर्ष के दौरान किसी फर्म/व्यक्ति को किसी प्रकार की Advance Payment की जाती है और यह Payment वर्ष के दौरान समायोजित नहीं की जाती तो वर्ष के अन्त में वार्षिक खातों में उस Payment को उस व्यक्ति/फर्म के नाम Advance दर्शाया जाता है। वर्ष 2013—14 के वार्षिक लेखों के Schedule XXXVII-Loans & Advances-Misc. Advance-Printing & Stationery Deptt. से सम्बन्धित Advances की जाँच करने पर पाया गया कि निम्न Vouchers के द्वारा Printing & Stationery Deptt. से Stationery की खरीद करने हेतु वर्ष 2013—14 के दौरान ₹180000/— की राशि का Advance दिया गया दर्शाया गया था। अभिलेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि वर्ष 2013—14 के वार्षिक लेखों में इस अग्रिम की राशि में से ₹80000/— (Voucher No. 1287 Dt. 26.10.2013, 1622 Dt. 20.12.2013) की राशि को Parinting & Stationery Deptt. को अग्रिम के रूप में दर्शाया गया था, जबकि ₹100000/— की राशि को Printing & Stationery Expenditure लेखा शीर्षक के अन्तर्गत वर्ष 2013—14 के Annual Profit & Loss Account की Debit side में दर्शाया गया था। ऐसा करने के कारण उपरोक्त Schedule में Printing & Stationery Deptt. को दर्शाये गए अग्रिम की राशि को ₹100000/— की राशि से कम दर्शाया गया था साथ ही Annual Profit & Loss Account में भी Printing & Stationery Expenditure के वार्षिक व्यय को ₹100000/— की राशि से अनियमित रूप से बढ़ाया गया था। इस प्रकार लेखांकन सिद्धान्तों के विरूद्ध ₹100000/— की Advance की राशि को Printing & Stationery Expenses लेखा शीर्षक के अन्तर्गत वार्षिक व्यय दर्शाया अनुचित था। इस बारे में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 30/2015 दिनांक 03.03.2015 द्वारा हिमुडा अधिकारियों को सूचित किया गया था साथ ही इस बारे में

वस्तुस्थिति से अवगत करवाने बारे में लिखा गया था, परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक इस बारे में कोई सूचना अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं करवाई गई। वित्तीय वर्ष के दौरान प्रदान किए गए अग्रिम की राशि को वार्षिक खातों में व्यय दर्शाना एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। इस मामले की नियमानुसार छानबीन की जाए और दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाए। अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

**मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग को दिए गए अग्रिमों का विवरण**

| Vouchers No. | Date | Cash Book P.No. | Cheque No./Date | Amount (₹) | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 803 | 13.08.2013 | 186 | 81760/13.08.2013 | 30000 | Advance treated as Expenditure |
| 979 | 13.09.2013 | 30 | 083152/13.09.2013 | 20000 | Advance treated as expenditure |
| 1287 | 26.10.2013 | 91 | 083209/26.10.2013 | 30000 | |
| 1622 | 20.12.2013 | 163 | 274508/20.12.2013 | 50000 | |
| 1974 | 21.02.2014 | 42 | 274583.20.02.2014 | 50000 | Advance treated as Expenditure |
| | | | कुल योग | 180000 | |

## 13 विज्ञापन व्यय पर 15% कमीशन की कटौती न करके सरकारी राजस्व की राशि ₹3.79 लाख की हानि बारेः–

लोक सम्पर्क विभाग हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या 2006/01–15 Pub-92-14263 दिनांक 30.08.2006 व पत्र संख्या I & PR-H(F)6 (Advts)-4(App)/2013-2976, दिनांक 5.7. 2013 में दिये गए दिशा निर्देशों अनुसार समस्त विभागों, बोर्ड कार्पोरेशन को सभी प्रकार के विज्ञापन लोक सम्पर्क विभाग के माध्यम से छपवाये जाने आवश्यक थे डिस्प्ले विज्ञापनों पर 15**%** कमीशन के रूप में कटौती करके हिमाचल प्रदेश सरकार के आय शीर्षक 300–60–0220 में जमा करवाया जाना अपेक्षित था। वित्तीय वर्ष 2013–14 के लाभ हानि खाते की जाँच करने पर पाया गया कि वर्ष के दौरान हिमुडा द्वारा विज्ञापन शीर्षक के अन्तर्गत ₹2572631/– का भुगतान निम्न सारणी अनुसार डिस्प्ले विज्ञापनों के रूप में किया गया थाः–

| क्र0सं0 | भुगतान वाउचर संख्या व दिनांक | समाचार पत्र/पत्रिका जिसे भुगतान किया गया | भुगतान की गई राशि |
|---|---|---|---|
| 1 | 158/26.4.2013 | मै0 दिव्या हिमाचल प्रकाशन लिमिटेड | 26400 |
| 2 | 159/26.4.2013 | मै0 बेनेट कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड | 114880 |
| 3 | 160/26.4.2013 | मै0 हिमाचल दस्तक मीडिया प्राईवेट लिमिटेड | 129600 |
| 4 | 161/26.4.2013 | मै0 हिमाचल दस्तक मीडिया प्राईवेट लिमिटेड | 129600 |
| 5 | 162/26.4.2013 | मै0 पंजाब केसरी लिमिटेड | 112000 |
| 6 | 163/26.4.2013 | मै0 पंजाब केसरी लिमिटेड | 112000 |
| 7 | 164/26.4.2013 | मै0 द ट्रिब्यून ट्रस्ट चंडीगढ़ | 284800 |
| 8 | 165/26.4.2013 | मै0 द ट्रिब्यून ट्रस्ट चंडीगढ़ | 284800 |
| 9 | 166/26.4.2013 | मै0 दैनिक भास्कर कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 114560 |
| 10 | 167/26.4.2013 | मै0 दैनिक भास्कर कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 114560 |
| 11 | 168/26.4.2013 | मै0 दैनिक भास्कर कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 176000 |
| 12 | 169/26.4.2013 | मै0 जागरण प्रकाशन लिमिटेड | 224640 |
| 13 | 170/26.4.2013 | मै0 आपका फैसला प्राईवेट लिमिटेड | 96000 |
| 14 | 171/26.4.2013 | मै0 हिन्दुस्तान टाईम्स मीडिया लिमिटेड | 198400 |
| 15 | 172/26.4.2013 | मै0 अमर उजाला पब्लिकेशन | 128000 |
| 16 | 175/27.4.2013 | मै0 अमर उजाला पब्लिकेशन | 128000 |
| 17 | 1693/6.1.2014 | मै0 बिल्ड इण्डिया प्रावईवेट लिमिटेड | 25000 |
| 18 | 1273/24.10.2013 | मै0 पंजाब केसरी ग्रुप | 128391 |
| | | **कुल** | **2527631** |

उपरोक्त भुगतान वाउचरों का अवलोकन करने पर पाया गया कि किए गए भुगतान पर न तो उपरोक्त निर्देशानुसार 15**%** कमीशन के रूप में की कटौती करके सरकार के आय शीर्षक 0220–60–300 में जमा करवाई गई थी और न ही डिस्प्ले विज्ञापनों को हिमाचल प्रदेश सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग के माध्यम से छपवाया गया था। परिणामस्वरूप सरकारी राजस्व को ₹379145/– (2527631X15**%**) की सीधी हानि हुई है। अतः सरकारी दिशा निर्देशों की अनुपालना न करके सरकारी खजाने को ₹379145/– की हानि पहुँचाने बारे

उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाये तथा राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करने के पश्चात सरकारी कोष में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए।

## 14 नियमों के विरूद्ध पदोन्नति के कारण ₹2.18 लाख का अनियमित भुगतानः—

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा लिपिक/कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक की पदोन्नति हेतु बनाए गए नियम जिनका हिमुडा द्वारा भी अनुसरण किया गया है के अनुसार लिपिक से वरिष्ठ सहायक की पदोन्नति हेतु दस वर्ष का नियमित सेवाकाल अपेक्षित है। श्रीमति बिध्या नामटा की सेवा पंजिका की पड़ताल करने पर पाया गया कि कर्मचारी को दिनांक 9.2.2007 को बेलदार से लिपिक के पद पर पदोन्नत किया गया। तत्पश्चात 5.6.2012 को लगभग पाँच वर्ष व चार माह उपरान्त ही वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नत किया गया। जबकि हिमुडा द्वारा वरिष्ठ सहायक के भर्ती एवं पदोन्नति नियम जिन्हें अधिसूचना संख्या हिमुडा 5—472/085—प्रशा0 दिनांक 18.7.2006 द्वारा अधिसूचित किया गया है, के अनुसार वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति हेतु कनिष्ठ सहायक के पद पर पाँच वर्ष का नियमित सेवाकाल आवश्यक है। जबकि श्रीमती बिध्या नामटा को कनिष्ठ सहायक के पद पर तैनात किए बिना ही सीधे लिपिक से वरिष्ठ सहायक के पद पर पाँच वर्ष व चार माह उपरान्त ही पदोन्नत किया गया जो उपरोक्त भर्त्ती एवं पदोन्नति नियमों की अवहेलना है। परिणामस्वरूप नियमों की अवहेलना करके उक्त कर्मचारी को अवधि 5.6.2012 से 31.3.2015 तक ₹218754/— की राशि के वेतन व भत्तों का अनियमित भुगतान किया गया जिसका पूर्ण विवरण **परिशिष्ट "ज"** पर दिया गया है। अतः इस गम्भीर अनियमितता बारे तथ्यों सहित स्पष्टीकरण दिया जाये तथा किए गए अनियमित भुगतान को न्यायोचित ठहराया जयो अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाये।

## 15 चालकों को विशेष भत्ते के रूप में राशि ₹0.28 लाख का अनियमित भुगतानः—

वेतन बिलों व सहायक अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित चालकों को विशेष भत्ते का भुगतान हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित दर ₹300/— प्रतिमाह के स्थान पर ₹700/— प्रतिमाह की दर से किया गया था। परिणामस्वरूप ₹28800/—की राशि का अनियमित रूप से अधिक भुगतान किया गया, जिसका विवरण निम्न वर्णित है। चूंकि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चालकों को देय विशेष भत्ते की दर ₹300/— प्रति माह निर्धारित की गई है इसलिए अधिक दर से भुगतान करने से पूर्व हिमाचल प्रदेश

सरकार की स्वीकृति प्राप्त की जानी अपेक्षित थी परन्तु ऐसी कोई भी स्वीकृति अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई जबकि हिमुडा प्राधिकारी द्वारा अपने स्तर पर ही स्वीकृति प्रदान करके चालकों को अधिक दर से भुगतान कर दिया गया। इस सम्बन्ध में गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी आपत्ति दर्ज की गई थी परन्तु आज तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। अतः किये गये अधिक भुगतान का तथ्यों सहित पूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा अधिक भुगतान की वसूली सम्बन्धित कर्मचारियों से की जाये। साथ ही भविष्य में विशेष भत्ते का भुगतान हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुरूप ही किया जाना सुनिश्चित किया जाये। कृत कार्रवाई से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाये।

| क्र0सं0 | कर्मचारी का नाम व पदनाम सर्वश्री | अवधि | हि0प्र0 सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार प्रति माह देय विशेष वेतन (₹) | विशेष वेतन का वास्तव में प्रतिमाह किया गया भुगतान (₹) | अन्तर | कुल किया गया अधिक भुगतान (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सुरेश कुमार, चालक | 01.04.2012 से 31.03.2014 | 300 | 700 | 400 | 9600 |
| 2 | जगदीप, चालक | 01.04.2012 से 31.03.2014 | 300 | 700 | 400 | 9600 |
| 3 | राजिन्दर पाल, चालक | 01.04.2012 से 31.03.2014 | 300 | 700 | 400 | 9600 |
| | | | | **कुल योग** | | **28800** |

यदि दिनांक 1.4.2012 से पूर्व भी इस प्रकार का कोई भुगतान किया गया है तो हिमुडा द्वारा अपने स्तर पर इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाये।

## 16 छुट्टी नगदीकरण की राशि ₹5411/– का अधिक भुगतानः–

श्रीमती राम देई, चपड़ासी दिनांक 30.9.2013 को सेवा निवृत हुई। सेवा निवृति पर कर्मचारी के अवकाश खाते में 275 दिन का अर्जित अवकाश जमा दर्शाया गया था परन्तु सेवा पुस्तिका की जाँच करने पर पाया गया कि कर्मचारी के अवकाश खाते में वास्तव में 269 दिन का अर्जित अवकाश जमा था। परन्तु अनियमित प्रकार से 275 दिन के अर्जित अवकाश के नगदीकरण एवज में ₹5411/– की राशि का अधिक भुगतान किया गया (विवरण निम्न दिया गया है) अतः पाई गई अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा किए गए अधिक भुगतान

की राशि को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इसकी वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण को दिखाई जाएः–

(i) EL Encashment Due=(Basic Pay+DA(90%)/30)x Unavailed EL

(ii) Amount to be paid= (14240+12816/30)x269=₹242602/-

(iii) Amount actually paid=(14240+12816/30)x275=₹248013/-

(iv) Excess amount paid=₹5411/- (248013-242602)

## 17 चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों की राशि ₹1564/– का अनियमित भुगतानः–

मह 3/2014 के चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के अंकेक्षण में पाया गया कि वाउचर संख्या 2183, दिनांक 27.3.2014 में निम्न कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों में अदेय दवाईयों अर्थात जिनका भुगतान नागरिक सेवा (चिकित्सा नियम) 1944 के अन्तर्गत देय नहीं था का भुगतान किया गया था जिसके कारण कर्मचारियों को ₹1564/– का अनियमित भुगतान किया गया, जिसका विवरण नीचे दिया गया हैः–

| क्र0सं0 | कर्मचारी का नाम/पदनाम सर्वश्री | अदेय दवाईयों/टेस्ट का नाम | राशि | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|
| 1 | रामेश्वर ग्रिपटा, प्रशासनिक अधिकारी | (i) Tab. Oflowock-oz (ii) Tab. Nimuslide-PCM | 71 | चिकित्सक द्वारा नहीं लिखी गई, अतः दवाई देय नहीं है। |
| | | Syp. Liv-52 | 170 | चिकित्सा नियम अनुसार देय नहीं। |
| | | Capsy Gel | 61 | चिकित्सा नियम अनुसार देय नहीं। |
| 2 | अनिल शारदा, पी0एल0ए0 | DFO Gel | 288 | चिकित्सा नियम अनुसार देय नहीं। |
| | | DFO Gel | 288 | चिकित्सक द्वारा दिनांक 1.10.13 को टेस्ट लिखे गए |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | परन्तु दिनांक 25.9.13 को टेस्ट करवाए गए जिससे स्पष्ट है कि चिकित्सक के लिखने से पहले ही टेस्ट करवाए गए जो की देय नहीं है। |
| 3 | हरीश गुप्ता, सहायक वास्तुकार | Sensur Oil | 75 | |
| | | Aquarail Eye Drops | 85 | |
| | | Oint. Betadine | 150 | |
| | | Various Tests | 295 | |
| 4 | सरोज गुप्ता, सहायक वास्तुकार | Nasal Drops | 40 | चिकित्सा नियम अनुसार देय नहीं। |
| | | Quadriderm RF Cream | 41 | |
| | | **कुल** | **1564** | |

अतः उपरोक्त ₹1564/– के अनियमित भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये।

## 18 यात्रा भत्ता दावों की राशि ₹1078/– का अनियमित भुगतानः–

माह 3/2014 के यात्रा भत्ता दावों के अंकेक्षणमें पाया गया कि निम्न कर्मचारियों को यात्रा भत्ता दावों का भुगतान नियमानुसार नहीं किया गया था। परिणास्वरूप कर्मचारियों को ₹1078/– की राशि का अनियमित भुगतान किया गया, जिसका विवरण नीचे दिया गया हैः–

| **(i) वाउचर संख्या 2097, दिनांक 13.3.2014** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **क्र0 सं0** | **कर्मचारी का नाम/पदनाम सर्वश्री** | **यात्रा की दिनांक** | **स्थान** | **समय** | **समय यात्रा के दौरान देय दैनिक भत्ता** | **वास्तविक भुगतान** | **अधिक भुगतान** |
| 1 | अनिल कुमार, कानूनगो, GP 4200 | 3.1.14 | अठवाँ से धर्मशाला (सरकारी वाहन द्वारा) | प्रातः 11 बजे से सायं 7:30 बजे तक | 112 (160 का 70%)<br>22 (72 का 30%)<br>134 | 160 | 26 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4.1.14 | धर्मशाला से शिमला (बस द्वारा) | प्रातः 11 बजे से सायं 8:20 बजे तक | 134 | 160 | 26 |
| 2 | दरबारा सिंह, पटवारी, GP 3200 | 3.1.14 | अठवाँ से धर्मशाला (सरकारी वाहन द्वारा) | प्रातः 11 बजे से सायं 7:30 बजे तक | 112 (160 का 70%)<br>22 (72 का 30%)<br>134 | 160 | 26 |
| | | 4.1.14 | धर्मशाला से शिमला (बस द्वारा) | प्रातः 11 बजे से सायं 8:20 बजे तक | 134 | 160 | 26 |
| 3 | मनोहर लाल, चालक (GP 2400) | 28.11.13 | मण्डी से धर्मपुर (सरकारी वाहन द्वारा) | प्रातः 8 बजे से सायं 8 बजे तक | 91 (130 का 70%)<br>18 (60 का 30%)<br>109 | 130 | 21 |
| | | 3.1.14 | ऊना से धर्मशाला (सरकारी वाहन द्वारा) | प्रातः 8 बजे से सायं 7:30 बजे तक | 109 | 130 | 21 |
| | | 20.1.14 | हमीरपुर से धर्मशाला (सरकारी वाहन द्वारा) | प्रातः 9:45 बजे से सायं 4 बजे तक | 109 | 130 | 21 |
| | | 21.1.14 | धर्मशाला से शिमला (सरकारी वाहन द्वारा) | प्रातः 9:30 बजे से सायं 10 बजे तक | 60 | 109 | 49 |
| 4 | रोशन लाल चालक GP 3000 | 25.5.13 | परवाणु से नालागढ़/शिमला (सरकारी वाहन द्वारा) | प्रातः 9 बजे से सायं 8 बजे तक | 39 (130 का 30%)<br>42 (60 का 70%)<br>81 | 130 | 49 |
| | | 26.10.13 | हमीरपुर से धर्मशाला (सरकारी वाहन द्वारा) | प्रातः 10:30 बजे से सायं 5 बजे तक | 91 (130 का 70%)<br>18 (60 का 30%)<br>109 | 130 | 21 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 28.10.13 | धर्मशाला से मोहाली/ धर्मशाला (सरकारी वाहन द्वारा) | प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक | 109 | 130 | 21 |
| | | 29.10.13 | धर्मशाला से मोहाली/ धर्मशाला (सरकारी वाहन द्वारा) | प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक | 109 | 130 | 21 |
| | | 8.12.13 | ऊना से पालमपुर/ डरोह (सरकारी वाहन द्वारा) | प्रातः 9 बजे से सायं 9 बजे तक | 91 (130 का 70**%**) 18 (60 का 30**%**) 109 | 130 | 21 |
| | | 28.12.13 | परवाणु से धर्मशाला (सरकारी वाहन द्वारा) | प्रातः 9 बजे से सायं 6:30 बजे तक | 109 | 130 | 21 |
| | | 29.12.13 | धर्मशाला से शिमला (सरकारी वाहन द्वारा) | प्रातः 10 बजे से सायं 7 बजे तक | 109 | 130 | 21 |
| | **(ii) वाउचर संख्या 2102, दिनांक 13.3.2014** | | | | | | |
| 5 | जगदीप कुमार, चालक GP 2400 | 9.10.13 | धर्मशाला से पालमपुर/ धर्मशाला (सरकारी वाहन द्वारा) | प्रातः 8:30 बजे से सायं 6:30 बजे तक | 91 (130 का 70**%**) 18 (60 का 30**%**) 109 | 130 | 21 |
| | | 28.10.13 | मण्डी से धर्मशाला (सरकारी वाहन द्वारा) | प्रातः 9 बजे से सायं 8 बजे तक | 109 | 130 | 21 |
| | **(iii) वाउचर संख्या 2177, दिनांक 27.3.2014** | | | | | | |
| 6 | राजीव कुमार, | 28.11.13 | बिलासपुर से मण्डी | प्रातः 9 बजे से सायं 8 | 126 (180 का 70**%**) 25 (84 | 180 | 29 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | तहसीलदार GP 5000 | | (सरकारी वाहन द्वारा) | बजे तक | का 30%) 151 | | |
| | | 29.11.13 | मण्डी से जुगाहन/राजवाड़ी/मण्डी (सरकारी वाहन द्वारा) | प्रातः 8 बजे से सायं 6 बजे तक | 151 | 180 | 29 |
| | | 3.1.14 | ऊना से धर्मशाला (सरकारी वाहन द्वारा) | प्रातः 8 बजे से सायं 8 बजे तक | 151 | 180 | 29 |
| | **(iv) वाउचर संख्या 2181, दिनांक 27.3.2014** | | | | | | |
| 7 | दीवान चन्द शर्मा, वरिष्ठ वास्तुकार GP 7600 | 9.7.13 | शिमला से बिलासपुर/हमीरपुर/मण्डी (सरकारी वाहन द्वारा) | प्रातः 7 बजे से सायं 11 बजे तक | 84 | 180 | 96 |
| | | | | | | | |
| | | 10.7.13 | मण्डी से सरकाघाट/मण्डी (सरकारी वाहन द्वारा) | प्रातः 9 बजे से सायं 10:30 बजे तक | 84 | 180 | 96 |
| | | 11.7.13 | मण्डी से कुल्लू (सरकारी वाहन द्वारा) | प्रातः 8 बजे से सायं 9:30 बजे तक | 84 | 180 | 96 |
| | | 6.9.13 | धर्मशाला से पालमपुर/अम्ब (सरकारी वाहन द्वारा) | प्रातः 9 बजे से सायं 8:30 बजे तक | 126 (180 का 70%) 25 (84 का 30%) 151 | 180 | 29 |
| | | 7.9.13 | अम्ब से ऊना/धर्मशाला/शिमला (सरकारी वाहन द्वारा) | प्रातः 9:15 बजे से सायं 11:10 बजे तक | 84 | 180 | 96 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 8.10.13 | धर्मशाला से चम्बा (सरकारी वाहन द्वारा) | प्रातः 9:45 बजे से सायं 6:30 बजे तक | 126 (180 का 70%) 25 (84 का 30%) 151 | 180 | 29 |
| | | 9.10.13 | चम्बा से धर्मशाला (सरकारी वाहन द्वारा) | प्रातः 9 बजे से सायं 8:30 बजे तक | 151 | 180 | 29 |
| | | 21.10.13 | धर्मशाला से सिद्धपुर (सरकारी वाहन द्वारा) | प्रातः 9:30 बजे से सायं 9:30 बजे तक | 151 | 180 | 29 |
| | | 22.10.13 | धर्मशाला से हमीरपुर (सरकारी वाहन द्वारा) | प्रातः 10 बजे से सायं 8 बजे तक | 151 | 180 | 29 |
| | | 28.11.13 | मण्डी से घुमारवीं/बिलासपुर/धर्मपुर (सरकारी वाहन द्वारा) | प्रातः 8 बजे से सायं 8 बजे तक | 151 | 180 | 29 |
| | | | | | | **कुल** | **1078** |

अतः उपरोक्त ₹1078/– के अनियमित भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये। शेष मासों में हिमुडा द्वारा अपने स्त्तर पर अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित की जाये।

## 19 स्टॉक रजिस्टरः–

### (क) Permanent Article स्टॉक रजिस्टर का निर्माण न करनाः–

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 के अनुसार सभी Permanent Article हेतु स्टॉक रजिस्टर बनाया जाना अनिवार्य है। इस सन्दर्भ में उपलब्ध अभिलेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि Permanent Articles हेतु किसी भी रजिस्टर का रख रखाव नहीं किया गया था। इस बारे में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 64/2015, दिनांक 23.3.2015 द्वारा Permanenrt Article स्टॉक रजिस्टर आवश्यक जाँच पड़ताल हेतु उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। अंकेक्षण को मौखिक तौर पर अवगत करवाया गया कि हिमुडा मुख्यालय स्त्तर पर इस प्रकार का न तो अभिलेख तैयार किया गया है तथा न ही विभिन्न मदों का नियमानुसार वर्ष में एक बार सक्षम

अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन (Physical Verification) किया गया है। लाखो रूपए की स्थाई भण्डार मदों (Permanent Stock Items) जैसे मेज, कुर्सियाँ, टेबल, कम्पयूटर, प्रिन्टर फोटोस्टेट मशीने, फैरों प्रिंटर, हीटर, वाहन इत्यादि का स्टॉक रजिस्टर व सम्बन्धित सहायक अभिलेख का अभिरक्षण न करना तथा इन मदों का वार्षिक आधार पर भौतिक सत्यापन न करना अनियमित ही नहीं अपितु गम्भीर चिन्ता का विषय भी है। इस प्रकार की चूक से किसी भी गम्भीर अनियमितता से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः उपरोक्त महत्वपूर्ण अभिलेख का रख–रखाव न करने बारे पूर्ण तथ्यों सहित वास्तविक स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। इस मामले की पूर्ण छानबीन की जाये तथा उक्त महत्वपूर्ण अभिलेख का अविलम्ब निर्माण किया जाना सुनिश्चित किया जाये ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की सम्भावित चूक से बचा जा सके। कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

## (क) फोटोस्टेट मशीन स्टॉक/खपत रजिस्टर के रख–रखाव बारेः–

अंकेक्षण को प्रस्तुत फोटोस्टेट मशीनों (मॉडल संख्या 5225/30) के स्टॉक/खपत रजिस्टर का अवलोकन करने पर पाया गया कि वर्ष 2013–14 के दौरान प्रतिलिपि यंत्रचालकों को समय–समय पर फोटोस्टेट रिम्स जारी किए गए जिनको फोटोस्टेट मशीन खपत रजिस्टर में दर्ज किया गया था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि सम्बन्धित रजिस्टर में फोटोस्टेट कागजों की खपत की गणना दर्ज नहीं की गई थी तथा न हीं उक्त रजिस्टर को समय–समय पर सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया था। इसके अतिरिक्त प्रत्येक माह के अन्त में खपत रजिस्टर में फोटोस्टेट रिम्स का कितना स्टॉक शेष था का भी कोई सन्दर्भ अंकित नहीं था जिससे यह पुष्टि नहीं होती कि फोटोस्टेट कार्य हेतु समय–समय पर कितने रिम्स की आवश्यकता थी तथा किसी निश्चित अवधि में कितने कागज (सामान्य Wastage सहित) उपयोग में लाये गए थे। उपरोक्त रजिस्टर में कागजों की खपत की गणना सुनिश्चित की जाये तथा पुनः फोटोस्टेट रिम जारी करने से पूर्व खपत रजिस्टर में कागजों/रिम्स के शेष स्टॉक की पुष्टि कर ली जाये ताकि किसी भी प्रकार से आवश्यकता से अधिक फोटोस्टेट रिम्स जारी नहीं किए जा रहे है। इसके अतिरिक्त समय–समय पर सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त रजिस्टर की जाँच उपरान्त सत्यापना भी सुनिश्चित की जाये।

## 20 दिनांक 31.03.2014 तक आयकर दायित्व को निर्धारित न करने बारेः–

वित्तीय वर्ष 2013–14 की Balance Sheet के Current Asstes के Schedule-XXIX (A) में ₹129825745.98 की राशि "Income Tax Recoverable From IT Department" लेखा शीर्षक के

अन्तर्गत दर्शाई गई थी। जाँच करने पर पाया गया कि यह राशि वित्तीय वर्ष 2005–06 से लम्बित चली आ रही है (जिसका विवरण निम्न दिया गया है) इतनी बड़ी राशि का आयकर विभाग को विभिन्न वर्षों के दौरान अग्रिम रूप में भुगतान करना और लम्बे समय तक आयकर विभाग के साथ अपनी आयकर देनदारी का निर्धारण नहीं करना अपने आप में एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 32/2015 दिनांक 04.03. 2015 के माध्यम से आयकर देनदारी का वर्तमान तक निर्धारण नहीं करवाए जाने बारे आवश्यक सूचना माँगी गई थी परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक इस सम्बन्ध में कोई सूचना अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं करवाई गई। इस सम्बन्ध में पूर्व के अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी आपत्ति दर्ज की गई थी परन्तु वर्तमान समय तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। अतः यह मामला आवश्यक कार्रवाई हेतु पुनः उच्चधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाया जाता है। आयकर विभाग को किए गए अग्रिम आयकर भुगतान के सम्बन्ध में गणना विवरण बनाया जाए साथ ही इस आयकर के अन्तिम कर निर्धारण हेतु मामला है आयकर विभाग से उठाया जाए। अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अतिशीघ्र सूचित किया जाए।

**Detail of Income Tax Recoverable From IT Department**

| **Particulars** | **Opening Balance** | **Closing Balance** |
|---|---|---|
| TDS Recoverable From Deptt. | 122245.31 Cr. | 122245.31 Cr. |
| Income Tax on Colony (JNNURM) | 16688.00 Cr. | 16688.00 Cr. |
| Income Tax Receverable From A.Y. 2006-07 | 5000000.00 Dr. | 5000000 Dr. |
| Income Tax Recoverable From IT Deptt. (2009-10) | 19009532.00 Dr. | 19009532.00 Dr. |
| Income Tax Recoverable From IT Deptt. (2010-11) | 5026443.00 Dr. | 5026443.00 Dr. |
| Income Tax Recoverable From IT Deptt. (2011-12) | 3501696.00 Dr. | 3501696.00 Dr. |
| Income Tax Refund IT Deptt. AY, 2007-08) | 8127140.00 Cr. | 8127140.00 Cr. |
| TDS for the Year 2013-14 | | 4336314.00Dr. |
| TDS on FDR Year 2012-13 | 3648755.00 Dr. | 3648755.00 Dr. |
| Income Tax on Colonies Rec. from IT Deptt. (2004-05) | 97569079.29 Dr. | 97569079.29 Dr. |
| **Total** | **125489431.98 Dr.** | **129825745.98 Dr.** |

## 21 दिनांक 31.03.2014 तक निर्माण कार्यों की राशि ₹448.08 लाख को "Work Completed in hand" लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाये जाने बारेः–

वार्षिक लेखों में "Work Completed in hand" लेखा शीर्षक के अन्तर्गत वह निर्माण कार्य दर्शाये जाते है जो पूर्ण हो चुके हैं वित्तीय वर्ष 2013–14 की Balance Sheet के Current Asstes के Schedule-XXXIII की जाँच करने पर पाया गया कि "Work Completed in hand" लेखा शीर्षक के अन्तर्गत ₹44808972.53 की राशि पिछले कई वित्तीय वर्षों से दर्शाई जा रही थी। दर्शाई गई राशि का विवरण निम्न दिया गया है। अभिलेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि वर्षों उपरान्त भी इस लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाई गई राशि में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आया है जिससे यह संदेह प्रतीत होता है कि क्या यह निर्माण कार्य वास्तव में अभी तक भौतिक रूप से हिमुडा से स्वामित्व में उपलब्ध भी है? इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 38/2015 दिनांक 09.03.2015 के माध्यम से Work Completed in hand के अन्तर्गत दर्शाये जा रहे निर्माण कार्यों के सम्बन्ध वास्तविक स्थिति बारे सूचना (Factual Postition) माँगी गई थी परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक इस सम्बन्ध में कोई सूचना अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं करवाई गई। इस सम्बन्ध में पूर्व के अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी आपत्ति दर्ज की गई थी परन्तु वर्तमान समय तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। अतः यह मामला विशेष रूप से पुनः उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु लाया जाता है। इस लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाये जा रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा की जाए और यदि पूर्ण हो चुके निर्माण कार्यों को HIMUDA द्वारा अपने स्वयं के प्रयोग में लाया जा रहा है तो इन निर्माण कार्यों की लागत को Balance Sheet के Fixed Asstes (Own Building) लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाया जाना सुनिश्चित किया जाए। यदि स्वयं के प्रयोग में नहीं लाया जा रहा है तो इस राशि के निर्मित फ्लैटों की बिक्री हेतु विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। कृत कार्यवाही से इस विभाग को शीघ्र अति शीघ्र सूचित किया जाए।

| Particulars | Opening Balance | Closing Balance |
|---|---|---|
| Assets in hand-Baddi Peripheri & Baddi Ph. 3 | 4816560.00 Dr. | 4816560.00 Dr. |
| Assets in hand- Baddi Ph. 1 | 2486479.00 Dr. | 2486479.00 Dr. |
| Assets in hand- Baddi Ph. 2, 2 Nos Hig H 282 & 283 & P/N 445 | 65000.00 Dr. | 65000.00 Dr. |
| Assets in hand-Basement Sanjauli | 1968645.00 Dr. | 1968645.00 Dr. |
| Assets in hand- B/Ban Palampur Ph. 1799.07 | 847014.00 Dr. | 847014.00 Dr. |

| | | |
|---|---|---|
| Sqm Land | | |
| Assets in hand- B/Ban Palampur Ph.1 Cat. 2 H/N 19 & 57 | 591000.00 Dr. | 591000.00 Dr. |
| Assets in hand- B/Ban Palampur Ph. 1Cat 3. H/N 72 | 534000.00 Dr. | 534000.00 Dr. |
| Assets in hand- B/Ban Palampur Ph. 1 H/N 50-54 | 831040.00 Dr. | 831040.00 Dr. |
| Assets in hand-BBC Indora Land 572 Sqm @ 5431 Sqm | 310596.00 Dr. | 310596.00 Dr. |
| Assets in hand- Com. Sites-Poanta Sahib (1559.31) | 913365.00 Dr. | 913365.00 Dr. |
| Assets in hand-EWS Flats Ph. 2 Solan | 95000.00 Dr. | 95000.00 Dr. |
| Assets in hand-HIG Plot No. 60 Solan | 148000.00 Dr. | 148000.00 Dr. |
| Assets in hand-Knollswood | 438283.00 Dr. | 438283.00 Dr. |
| Assets in hand-Land 40.49 Sqm for 19 Nos Cat 3 Pwn | 1141503.00 DR. | 1141503.00 DR. |
| Assets in hand-Land 693.80 Sqm for 13 Nos. Cat 2 Flats | 942278.00 Dr. | 942278.00 Dr. |
| Assets in hand-Land at Kandrori | 399265.00 Dr. | 399265.00 Dr. |
| Assets in hand-Land under Com. Booths 157.70 sqm SFS | 120325.00 Dr. | 120325.00 Dr. |
| Assets in hand-MIG F/No. 90 H/No. 30 SHC Solan | 553500.00 Dr. | 553500.00 Dr. |
| Assets in hand-Parwanoo | 16086520.00 Dr. | 16086520.00 Dr. |
| Assets in hand- Parwanoo Land & Old Structure | 10908843.53 Dr. | 10908843.53 Dr. |
| Assets in hand-Ph. 2 F/N.2 B/23 SFS Solan | 345000.00 Dr. | 345000.00 Dr. |
| Assets in hand-Raw Land Bank SHC Rampur | 9173.00 Dr. | 9173.00 Dr. |
| Assets in hand-SHC Kangra | 199000.00 Dr. | 199000.00 Dr. |
| Assets in hand-Una | 58583.00 Dr. | 58583.00 Dr. |
| **Total** | **44808972.53 Dr.** | **44808972.53 Dr.** |

## 22 दिनांक 31.03.2014 तक ₹208.56 लाख की राशि को "Cash in Transit" लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाने एवं वर्ष के दौरान समायोजित न करने बारेः—

वित्तीय वर्ष 2013—14 की Balance Sheet के Current Assets के Schedule XXXXI की जाँच करने पर पाया गया कि "Cash in Transit" लेखा शीर्षक के अन्तर्गत ₹20856999.26 की राशि दर्शाई गई थी। इस राशि का पूर्ण विवरण निम्न दिया गया है। इस Schedule XXXXI की जाँच करने पर पाया गया कि कई निर्माण मण्डलों के सन्दर्भ में "Cash in transait" लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाई गई राशि पिछले कई वित्तीय वर्षों से ज्यों कि त्यों दर्शाई जा रही है जबकि "Cash in Transit" लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाई गई राशियों को उसी वित्तीय वर्ष या उसके आगामी वित्तीय वर्षों के दौरान समायोजित होनी चाहिए थी। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 39/2015 दिनांक 09.03.2015 द्वारा इस लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाई जा रही राशि को वर्ष अनुसार समायोजित न करने बारे सूचना माँगी गई थी परन्तु इस सन्दर्भ में कोई सूचना अंकेक्षण समाप्ति तक उपलब्ध नहीं करवाई गई। अतः यह मामला उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यानार्थ लाया जाता है साथ ही "Cash in transit" लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाई गई राशियों को वित्तीय वर्ष के दौरान समायोजित न करने को न्यायोचित ठहराया जाए। कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को शीघ्र अतिशीघ्र सूचित किया जाए।

**Cash in Transit लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाई गई राशि का विवरण**

| Particulars | Opening Balance | Closing Balance |
|---|---|---|
| Cash in Transit Mandi Division | Nil | 1000000.00 Cr. |
| Cash in Transit Shimla Division II | Nil | 2500000.00 Dr. |
| Dharamshala (10/2010) | 1500000 Cr. | Nil |
| Dharamshala (04/2012) | 15000000 Dr. | 15000000.00 Dr. |
| Dharamshala (09/2010) | 3500000.00 Cr. | Nil |
| Dharamshala Cash in Transit (22.03.2013) | 0.75 Cr. | 4999999.26 Dr. |
| Division-I (Cash in Transit) | Nil | 700000.00 Cr. |
| Electrical Hamirpur Cash in Transit | 1500000.00 Cr. | 500000.00 Dr. |
| Electrical Shimla (Cash in Transit) | 2022000.00 Dr. | 443000.00 Cr. |
| **Total** | **3702001.26 Dr.** | **20856999.26 Dr.** |

## 23 Imprest & Cash Settlement Suspense A/C लेखा शीर्षक के अन्तर्गत राशि ₹72.91 लाख को वर्ष के दौरान समायोजित न करने बारेः–

Imprest & Cash Settlement Suspense A/C के अन्तर्गत वो राशियाँ दर्शाई जाती है जो Head Office द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न निर्माण मण्डलों को उनके अधिकृत क्षेत्र में निर्माण कार्य करने के लिए समय समय पर जारी की जाती है। अतः नियमानुसार इन राशियों का समायोजन उन निर्माण मण्डलों के साथ उसी वित्तीय वर्ष में होना चाहिए। वर्ष 2013–14 के दौरान Balance Sheet के Schedule XXXXV की अंकेक्षण में जाँच करने पर पाया गया कि Imprest & Cash Settlement Suspense A/C लेखा शीर्षक के अन्तर्गत ₹7290231.47 Dr. राशि दर्शाई गई थी, इस लेखा शीर्षक के अन्तर्गत कई राशियाँ पिछले वित्तीय वर्षों से नियमित रूप से दर्शाई जा रही थी और जिनके समायोजन हेतु हिमुडा द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, ऐसी सभी राशियों का विवरण निम्न दिया गया है। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 41/2015 दिनांक 11.03.2015 द्वारा इन राशियों को वार्षिक आधार पर समायोजित न करने बारे आवश्यक सूचना माँगी गई थी परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक इस सन्दर्भ में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। अतः इस लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाई जा रही राशियों को वार्षिक आधार पर समायोजित न करने को न्यायोचित ठहराया जाए। साथ ही भविष्य में इस लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाई गई राशियों को वार्षिक आधार पर समायोजित किया जाना सुनिश्चित किया जाए। कृत कार्रवाई से इस विभाग को शीघ्र अतिशीघ्र सूचित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

| Particulars | Opening Balance | Closing Balance |
|---|---|---|
| CSS A/C of Mandi with Various Divisions | 2320.00 Dr. | 2320.00 Dr. |
| CSSA/C of Various Divisions with Shimla Division No. 1 | 3770.00 Dr. | 3770.00 Dr. |
| CSS A/C Paonta Factory | 235703.09 Cr. | 235703.09 Cr. |
| CSS A/C XEN Shimla Division No.1 | 8123979.27 Cr. | 8123979.27 Cr. |
| CSSA Dharamshala Division | 9532852.02 Cr. | 9532852.02 Cr. |
| CSSA (Electrical Division Shimla) | 17917462.22 Dr. | 17917462.22 Dr. |
| Imprest (CCS) A/C XEN Mandi Division | 3467642.37 Dr. | 3467642.37 Dr. |

**24 Interest Redemption लेखा शीर्षक के अन्तर्गत ₹366.16 लाख की राशि को सम्बन्धित हाउसिंग स्कीम की लागत में वर्षों उपरान्त भी समायोजित न करने बारेः—**

वित्तीय वर्ष 2013—14 Balance Sheet के Schedule 1-Reserve & Surplus में Interest Redemption A/C लेखा शीर्षक के अन्तर्गत ₹36616025.17 Cr. की राशि दर्शाई गई थी। जाँच करने पर पाया गया कि यह राशि पिछले कई वित्तीय वर्षों से इस लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाई जा रही है अनेक वित्तीय वर्ष बीतने के पश्चात भी इन राशियों को सम्बन्धित कलौनियों की लागत में समायोजित न करना अपने आप में एक गम्भीर अनियमितता है। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 42/2015 दिनांक 11.03.2015 द्वारा ₹36616025.17 की राशि को सम्बन्धित कलौनियों की लागत में समायोजित न करने बारे स्पष्टीकरण मांगा गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक इस सन्दर्भ में कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः Interest Redemption A/C लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाई गई राशि को वार्षिक आधार पर सम्बन्धित कलौनियों की लागत में समायोजित न करने को न्यायोचित ठहराया जाए। साथ ही इस राशि को सम्बन्धित हाउसिंग कालौनी की लागत में समायोजित किया जाए। कृत कार्यवाही से इस विभाग को सूचित किया जाए।

| Particulars | Opening Balance | Closing Balance |
|---|---|---|
| Excess Interest Charged to Colonies Kelston | 874119.77 Dr. | 874119.77 Dr. |
| Interest Redemption A/C- Baddi Ph. 2 | 6691581.87 Cr. | 6691581.87 Cr. |
| Interest Redemption A/C-Commr, Kelston | 85670.70 Cr. | 85670.70 Cr. |
| Interest Redemption A/C-Commr Una | 3019883.43 Cr. | 3019883.43 Cr. |
| Interest Redemption A/C-Indroa Colony | 33529.00 Cr. | 33529.00 Cr. |
| Interest Redemption A/C-Mandi Colony | 832983.30 Cr. | 832983.30 Cr. |
| Interest Redemption A/C-Poanta Factory Ph. 1 & 2 | 704938.18 Cr. | 704938.18 Cr. |
| Interest Redemption A/C-SHC Shogi | 5097579.00 Cr. | 5097579.00 Cr. |
| Interest Redemption A/C-Strawberry Shimla | 2265957.85 Dr. | 2265957.85 Dr. |
| Interest Redemption A/C- Type-1, 2 & 3 Knollswood | 360636.50 Cr. | 360636.50 Cr. |
| Interest Redemption A/C- Various Colonies | 22929300.81 Cr. | 22929300.81 Cr. |
| **Total** | **36616025.17 Cr.** | **36616025.17 Cr.** |

## 25 वित्तीय वर्ष 2013–14 के लेखों में Intial Deposit/Earnest Money लेखा के अन्तर्गत ₹2553.51 लाख की राशि Debit दर्शाने बारेः–

लेखांकन के मान्य नियमों के अनुसार Intail Deposit/Earest Money लेखा शीर्षक के अन्तर्गत वह राशि दर्शाई जाती है जो विभिन्न व्यक्तियों/फार्मों द्वारा HIMUDA की हाऊसिंग स्कीमों के अन्तर्गत फ्लैट, प्लाट इत्यादि क्रय करने के लिए प्रारम्भिक रूप से जमा करवाई गई थी। नियमानुसार इस प्रकार से ऐसी समस्त राशियों का अन्तिम शेष क्रेडिट होना चाहिए क्योंकि यदि प्रार्थियों को उन हाउसिंग स्कीमों में फ्लैट, प्लाट इत्यादि आंबटित किए जाते है तो यह राशि उनको आंबटित फ्लैट, प्लाट इत्यादि की कुल देय राशि में से समायोजित की जायेगी, साथ ही प्रार्थियों को फ्लैट, प्लाट इत्यादि आंबटित नहीं किए जाते तो उस स्थिति में इस प्रकार की समस्त राशियों को HIMUDA द्वारा जमा करवाने वाले व्यक्तियों/फर्मों को वापिस किया जाना था। इस प्रकार Intial Deposit/Earnest Money लेखा शीर्षक के अन्तर्गत समस्त देनदारी वाली राशियों का अन्तिम शेष क्रेडिट दर्शाया जाना चाहिए था। परन्तु अंकेक्षण में Intial Deposit/Earnest Money के Schedule-XII की जाँच करने पर पाया गया कि निम्न खातों में ₹255351879.30 की राशि को Intial Deposit/Earnest Money के Schedule-XII में दिनांक 31.03.2014 को Debit शेष दर्शाया गया था। जिससे ऐसा संदेह होता है कि इन हाउंसिंग स्कीमों में व्यक्तियों/फार्मों को उनके द्वारा जमा करवाई गई Intial Deposit/Earnest Money से ₹255351879.30 का अधिक भुगतान किया गया। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 48/2015 दिनांक 12.03.2015 द्वारा आवश्यक स्पष्टीकरण माँगा गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक इस बारे में कोई प्रति उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः Intial Deposit/Earnest Money के Schedule-XII के अन्तर्गत निम्न खातों का अन्तिम शेष Debit दर्शाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इस सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक जाँच की जाए और उचित तथ्यों के आधार पर इस राशि को समायोजित किया जाए। अनुपालना से इस विभाग को सूचित किया जाए।

| Particulars | Opening Balance | Closing Balance |
|---|---|---|
| Demand Survey D/S Shimla | 100.00 | 100.00 |
| Demand Survey Mandhala Baddi | 240000.00 | 240000.00 |

| | | |
|---|---|---|
| Demand Survey Various Places (Advt. Charges) | 106944.00 | 106944.00 |
| DS Solan, Kasauli, Chail, Nalagharh, Kndaghat, Barog | 31400.00 | 31400.00 |
| EM-HIG, MIG Bilaspur | 31410.00 | 31410.00 |
| EM-HIG, MIG Jawalamukhi | 500.00 | 500.00 |
| EM-HIG, MIG Nadaun | 6500.00 | 6500.00 |
| EM-HIG, MIG Basal Solan | 168212.50 | 168212.50 |
| EM-HIG, MIG Mehatpur | 2000.00 | 2000.00 |
| EM-Rakkar UNA | 3408686.02 | 3408686.02 |
| EM-Straberry & Chotta Shimla Cat-I, II, III, IV | 16837.00 | 16837.00 |
| EM-Type B Plot New Shimla | 2232000.00 | 2232000.00 |
| Imtial Deposit Earnest Money | 248783989.78 | 248783989.78 |
| Refunded of earnest Money | 0.00 | 1000.00 |
| | 255028579.30 Dr. | 255351879.30 Dr. |

**26 माँग सर्वेक्षण (Demand Survey) से सम्बन्धित पूर्वानुमानित ब्याज दायित्व ₹183.05 लाख की राशि को वित्तीय वर्ष 2013–14 के तुलन–पत्र/लेखों में परिलक्षित न करने बारेः–**

वित्तीय वर्ष 2013–14 की Balance Sheet के Schedule XII-Initial Deposit*/Earnest Money लेखा शीर्षक के अन्तर्गत Demand at Various Places 2010-11" शीर्षक ₹366110055 Cr. की राशि को दर्शाया गया था। विस्तृत जाँच पड़ताल में पाया गया की यह राशि हिमुडा द्वारा हिमाचल के विभिन्न क्षेत्रों/शहरी कस्बो में प्लॉट, फ्लैट व घरों की आवश्यकता के लिए भारत के नागरिकों से माँग सर्वेक्षण के अन्तर्गत आरम्भिक जमा राशि ₹5000/– प्रति प्रार्थना पत्र के रूप में प्राप्त किए गए थे। माँग सर्वेक्षण योजना के ब्रौचर की नियम एवं शर्त संख्या 4 में यह स्पष्ट किया गया है कि "No interest will be paid for the first one year on the intial deposit. The authority will, however allow interest @ 5% per annum for the period exceeding one year and up to the date of demand of full earnest money only. The benefit of the interest will be given to only those applicants who continue in the Scheme." उपरोक्त

शर्त के विस्तृत अवलोकन में पाया गया कि इस योजना के अन्तर्गत जमा राशि पर एक वर्ष तक अर्थात 30.4.2012 तक ब्याज देय नहीं था तथा उसके बाद डिमांड सर्वे शीर्ष के अन्तर्गत शेष जमा राशि पर 5**%** की दर से ब्याज देय था। दिनांक 31.03.2014 तक उक्त शीर्ष में ₹366110055/– Cr. की राशि लेखों में जमा दर्शाई गई थी तथा ब्रौचर की शर्त संख्या 4 अनुसार जमा राशि पर 5**%** की दर से वर्ष 2013–14 के लिए ₹18305502.75 (₹366110055.00X5**%**=₹18305502.75) का ब्याज देय था अर्थात भविष्य हेतु देय ब्याज का मान्य लेखा सिद्धान्तों अनुसार लेखों में प्रावधान किया जाना अपेक्षित था। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 60/2015 दिनांक 19.03.2015 से देय ब्याज दायित्व को वार्षिक लेखों में परिलक्षित न करने बारे स्पष्टीकरण माँगा गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक इस सन्दर्भ में कोई प्रति उत्तर प्राप्त नहीं हुआ हिमुडा के वित्तीय वर्ष 2013–14 के लेखों में वर्ष 2013–14 के लिए देय ब्याज दायित्व की ₹18305502.75 की राशि को न दर्शाना, एक अति गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। अतः वार्षिक लेखों में देय ब्याज दायित्व न दर्शाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए साथ ही मांग सर्वेक्षण (Demand Survey) नियम एवं शर्तों अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए तथा लेखों मे आवश्यक सुधार किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

**27 वार्षिक लेखों में Journal Voucher No. 128 Dated 31.03.2014 के द्वारा Sundry Debtors को ₹18763.00 की राशि से अनियमित रूप से कम किया जाने बारेः–**

Journal Voucher No. 128 Dated 31.03.2014 के द्वारा वर्ष 2013–14 के लेखों में निम्न Journal entry लेखाकिंत की गई थी।

| | | |
|---|---|---|
| TDS for the year 2013-14 Account Dr. | 18763.00 | |
| To Sundry Debtors Account | | 18763.00 |
| On Account of | | |

By amount of TDS deducted by the Nestle India Ltd. on Lease Rent for the year 2013-14 as per Tax Credit Statement From 26 AS Lease Rent Received on 22.082014 vide Receipt No. 509603.

उपरोक्त Journal Voucher द्वारा लेखों में लेखाकिंत की गई Journal Entry और उसकी "Narration" से यह ज्ञात होता है कि Nestle India Ltd. द्वारा देय Lease Rent पर ₹18763.00

की राशि के टीडीएस की कटौती की गई थी। अंकेक्षण में इस Journal वाउचर से सम्बन्धित अभिलेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि Nestle India Ltd. द्वारा Lease Rent का भुगतान रसीद संख्या 509603 द्वारा दिनांक 22.08.2014 को किया गया था जोकि वित्तीय वर्ष 2014–15 से सम्बन्धित थी। साथ ही Sundry Debtirs के सम्बन्ध में पड़ताल करने पर पाया गाय कि Nestle India Ltd. वर्ष 2013–14 और इससे पूर्व की Sundry Debtors की List में शामिल ही नहीं थी।

अभिलेखों की जाँच से यह भी पाया गया कि जिन उपभोक्ताओं से Lease Rent वर्ष 2013–14 तक देय था उनको वर्ष 2013–14 की Sundry Debtors की सूची में शामिल नहीं किया गया था। इस Journal Entry के सन्दर्भ में निम्न विषयों पर अंकेक्षण अधियाचना संख्या 28/2015 दिनांक 03.03.2015 के द्वारा माँगी गई थीः–

1 Lease Rent यदि दिनांक 22.08.2014 को प्राप्त किया गया था, तो इस आय से सम्बन्धित कटौती किए गए TDS को वर्ष 2013–14 के लेखा खातों में दर्शाये जाने के कारणों का तथ्यों सहित विवरण प्रस्तुत किया जाए। क्योंकि मान्य लेखांकन सिद्धान्तो के अनुसार में यह वर्ष 2014–15 के लेखा खातों में दर्शाया जाना चाहिए था।

2 यदि Nestle India Ltd. Sundry Debtors की list में शामिल नहीं थी तो Sundry Debtors को Journal Voucher संख्या 128 द्वारा Credit करके वर्ष 2013–14 के दौरान कम दर्शाये जाने का कारण उचित तथ्यों सहित प्रस्तुत किया जाए।

3 जिन उपभोक्ताओं से Lease Rent वर्ष 2013–14 तक देय था उनको वर्ष 2013–14 की Sundry Debtors की सूची में शामिल नहीं किया गया था। यदि इन सभी उपभोक्ताओं को किसी अन्य Schudule या किसी अन्य अन्य लेखा शीर्षक के अन्तर्गत लेखाकिंत किया गया हैं तो उस लेखा शीर्षक का पूर्ण विवरण उपलब्ध करवाया जाए।

इस अंकेक्षण अधियाचना के प्रतिउत्तर में पत्र संख्या Accounts/319/BSS/2012-46778 दिनांक 12.03.15 के द्वारा प्रदान की गई सूचना सन्तोषजनक नहीं पाई गई। अतः Journal Voucher No. 128 दिनांक 31.03.2014 के सन्दर्भ में पूर्ण छानबीन उपरान्त वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

## 28 वार्षिक लेखों में लेखा शीर्षक Rectification (Cash Book)-1" से ₹302.28 लाख की राशि का अनियमित समायोजनः–

Journal Voucher No. 134 Dated 31.03.2014 के द्वारा वर्ष 2013–14 के लेखों में निम्न Journal entry लेखाकिंत की गई थी।

| | | |
|---|---|---|
| Mandi Division Account | Dr. 12300000 | |
| Capacity Building Activities under JNNURM A/C | Dr. 3228000 | |
| Mandi Division A/C | Dr. 12798000 | |
| Dharamshala Division A/C | Dr. 1902000 | |
| To Rectification (Cash Book)-1 A/C | | 30228000 |

On Account of

A sum of Repees 30228000 was wrongly booked (JNNURM) Rectification vide Cash Book Vr. No. 182 Dated 16.04.2007, 624,1100 dated 24.05.2007 and 11.06.2007 is hereby adjusted.

उपरोक्त Journal entry की पड़ताल करने पर पाया गया कि ₹30228000/– की राशि को Rectification (Cash Book)-1 A/C लेखा शीर्षक में से समायोजित किया गया था। उपलब्ध अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि पूर्व के तुलन पत्रों (Blance Sheet) में ₹31069839.74 की राशि "Adjustable Amount (JNNURM)" लेखा शीर्षक के अन्तर्गत Current Assets, Loans and Advances के Schedule में दर्शाई जा रही थी। पिछले वित्तीय वर्ष अर्थात 2012–13 की Balance Sheet में Adjustable Amount (JNNURM) लेखा शीर्षक को "Rectification" लेखा शीर्षक में बिना किसी ठोस कारण के समाहित कर दिया गया था। वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2013–14 की Balance Sheet में "Rectification" लेखा शीर्षक का नाम बदल कर Rectification (Cash Book)-1 A/C लेखा शीर्षक के अन्तर्गत ₹30228000/– की राशि को अनियमित ढ़ंग से समायोजित किया गया था। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 72/2015 दिनांक 27.03.2015 के द्वारा ₹30228000/– की राशि को वित्तीय वर्ष 2013–14 के वार्षिक लेखों में वाउचर संख्या 134 दिनांक 31.03.2014 से समायोजित करने बारे स्वतः स्पष्ट विवरण उपलब्ध करवाने बारे लिखा गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक इस सन्दर्भ मे कोई विवरण उपलब्ध नहीं करवाया गया। अतः बिना किसी ठोस कारण के लेखा शीर्षकों को समाहित करने एवं वाउचर संख्या 134 के माध्यम से

"Rectifiction (Cash Book)-1 A/C" लेंखा शीर्षक के अन्तर्गत ₹30228000/– की राशि को समायोजित किए जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। इसके अतिरिक्त इस लेखा शीर्षक में समायोजित की गई ₹30228000/– की राशि बारे स्वतः स्पष्ट विवरण तैयार किया जाना एवं उस विवरण को आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही बिना किसी ठोस कारण के विभिन्न लेखा शीर्षकों के अन्तर्गत दर्शाई जा रही राशियों को समायोजित करने की चूक से परिहार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

**29 पैन्शन फंडः–**

हिमुडा द्वारा पैन्शन फंड से सम्बन्धित वर्ष 2013–14 का तुलन पत्र (Balance Shhet) अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत किया गया। इस तुलन पत्र के सम्बन्ध में अंकेक्षण में उपलब्ध करवाये गये अभिलेख की जाँच करने पर निम्न आपत्तियाँ दर्ज की गईः–

**(i) ₹615.06 लाख राशि के भुगतान के सम्बन्ध में स्वतः स्पष्ट अभिलेख प्रस्तुत न करने बारेः–**

अंकेक्षण में प्रस्तुत प्रबन्धक (पी0एण्ड जी0एस0) भारतीय जीवन बीमा निगम, पी0 एण्डजी0एस0 यूनिट, शिमला के पत्र/सन्दर्भ संख्या जी0एस0डी0एल0 पॉलिसी नं0 317921, दिनांक 31.3.2014 की जाँच करने पर पाया गया कि वर्ष 2013–14 के दौरान हिमुडा के सेवा निवृत कर्मचारियों को ₹61506103/– की राशि का भुगतान पैन्शन के रूप में किया गया था। इस भुगतान को तुलन पत्र के दायित्व साईड में Corpus Fund से तथा सम्पत्ति साईड में LIC Pension Fund में किए गए निवेश से घटा कर दर्शाया गया था। अंकेक्षण को मौखिक तौर पर अवगत करवाया गया कि उक्त भुगतान का पूर्ण विवरण जैसे किन–किन कर्मचारियों को कितनी पैन्शन का भुगतान किया गया को एल0आई0सी0 कार्यालय द्वारा हिमुडा को प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त इस भुगतान का लेखांकन पैन्शन निधि की रोकड़ बही में नहीं किया गया था जोकि मान्य लेखा सिद्धान्तो के अनुरूप नहीं है। अतः ₹61506103/– के पैन्शन भुगतान से सम्बन्धित स्वतः स्पष्ट अभिलेख/विवरण को एल0आई0सी0 कार्यालय से प्राप्त न करने तथा इस राशि का रोकड़ बही में लेखांकन न करने का तथ्यों सहित कारण स्पष्ट किया जाये। साथ ही उक्त भुगतान से सम्बन्धित अपेक्षित अभिलेख/विवरण एल0आई0सी0 कार्यालय से शीघ्र प्राप्त किया जाये व साथ ही इसका लेखाकंन रोकड़ बही में

भी किया जाना सुनिश्चित किया जाये। कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

**(ii) Audit & Legal Fee payable लेखा शीर्षक में दर्शाई गई राशि का अभिलेख प्रस्तुत न करने बारेः–**

निम्न विवरण अनुसार तुलन पत्र के दायित्व साईड दिनांक 31.3.2014 तक ₹16236/– की राशि "Audit & Legal Fee payable" लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाई गई थी जो कि श्री राजीव सूद, सी0ए0 को देय थी। इस दायित्व से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में उक्त मद की अंकेक्षण में आवश्यक जाँच न हो सकी। अतः अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

**(iii) ₹147.00 लाख के सावधि जमा राशि के प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करनाः–**

तुलन पत्र के सम्पत्ति साईड में दिनांक 31.3.2014 को ₹14700000/– की राशि सावधि जमा (FDRs UCO Bank) लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाई गई थी। परन्तु इस सावधि जमा राशि के बैंक द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र इस दायित्व से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण मे प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में उक्त मद की अंकेक्षण मे आवश्यक जाँच नहीं हो सकी। अतः अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

**(iv) तुलन पत्र को तुलनात्मक रूप में तैयार न करने बारेः–**

पैन्शन निधि के वर्ष 2013–14 के तुलन पत्र (Balance Sheet) की जाँच करने पर पाया गया कि इसे तुलनात्मक रूप (Comparative Form) में तैयार नहीं किया गया था। वर्ष 2013–14 के तुलन पत्र के साथ वर्ष 2012–13 के तुलन पत्र की मदें नहीं दर्शाई गई थी। अतः उक्त तुलन पत्र की सम्पत्ति एवं दायित्व की मदों को तुलनात्मक रूप में तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए जिससे इनमें दर्शाई गई मदों का तुलनात्मक अध्ययन करके इनमें पाई गई वृद्धि/कमी का आंकलन करके अपेक्षित सुधार हेतु सुझाव दिये जा सके। अतः वर्ष 2013–14 का तुलन पत्र तुलनात्मक रूप (Comparative Form) में तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाई जानी सुनिश्चित की जाए।

**(v) "हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2004" के प्रावधानों के विपरीत हिमुडा कर्मचारियों के लिए पैन्शन योजना लागू करने बारेः–**

"हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2004" के नियम 31 (1) के अनुसार "The Authority shall establish Contributory Provident fund for the Officers and officials of the Authority and such Provident fund shall be deemed to be the Authority"s Provident fund for the purposes of the Provident fund Act, 1925 (19 of 1925) and Shall be administered by the officers of the authority." परन्तु हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा हिमुडा कर्मचारियों के लिए पैन्शन योजना लागू करने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ दिनांक 14.3.2008 को अनुबन्ध किया। इस योजना के अन्तर्गत निर्मित Fund में हिमुडा द्वारा समय–समय पर राशि जमा/निवेश की गई जिसका दिनांक 31.3.2014 को ₹78793556/– का शेष था परन्तु हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम 2004" का अवलोकन करने पर पाया गया कि इस अधिनियम में हिमुडा कर्मचारियों के लिए पैन्शन योजना लागू करने के लिये नियम 31 में कोई भी संशोधन/प्रावधान नहीं किया गया था। अतः पैन्शन योजना को उपरोक्त अधिनियम में आवश्यक संशोधन/प्रावधान किए बिना लागू करने का कारण स्पष्ट किया जाये।

**30 अंशदायी भविष्य निधि**

हिमुडा द्वारा अंशदायी भविष्य निधि से सम्बन्धित तुलन–पत्र (Balance Sheet) अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत किया गया। इस तुलन पत्र के सम्बन्ध में अंकेक्षण में उपलब्ध करवाये गए अभिलेख की जाँच करने पर निम्न आपत्तियाँ दर्ज की गईः–

**(i) अंशदायी भविष्य निधि से ₹0.26 लाख की राशि को कर्मचारियो के सी0पी0एफ0 खातों में अनियमित प्रकार से हस्तांतरित करने बारेः–**

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2004 के नियम 31 के अन्तर्गत हिमुडा कर्मचारियों के लिए स्थापित अंशदायी भविष्य निधि के अभिलेख की पड़ताल करने पर पाया गया कि सर्वश्री अनुज ठाकुर व रणबीर सिंह, दैनिक भोगी बेलदारों को उनके सी0पी0एफ0 (दैनिक भोगी) खातों (संख्या 953 व 956) से दिनांक 16.1.2012 व 8.2.2012 को कमशः ₹15000/– व ₹10000/– की अग्रिम प्रदान की गई। परन्तु इन राशियों को उनके

सी0पी0एफ0 (दैनिक भोगी) खातों से नहीं घटाया गया था। उक्त दैनिक भोगी बेलदारों की सेवाओं को स्थायी बेलदार की सेवा में परिवर्तित होने के कारण इनके सी0पी0एफ0 (दैनिक भोगी) खातों को बन्द करके नए सी0पी0एफ0 (स्थायी सेवा) खातों (संख्या 644 व 645) का निर्माण किया गया। तत्पश्चात माह 08/2012 मे पुराने खातों का अन्तशेष क्रमशः ₹36621/– व ₹32898 नए खातों में हस्तांतरित किया गया जबकि पुराने खातों का वास्तविक अन्त शेष क्रमशः ₹21621 (36621–15000) व ₹22898 (32898–10000) था। परिणामस्वरूप पुराने खातों का शेष शून्य न होकर क्रमशः ₹(–)15000/– व ₹(–)10000 हो गया। त्रुटि का पता चलने पर हिमुडा द्वारा यूको बैंक में रखे गए सी0पी0एफ0 मुख्य खाता संख्या 441 से उक्त कर्मचारियों के सी0पी0एफ0 (दैनिक भोगी) बैंक खातों में क्रमशः ₹15893/– (15000+893 ब्याज सहित) व ₹10267/– (10000+267 ब्याज सहित) कुल ₹26160/– की राशि वाउचर संख्या 251 दिनांक 14.3.2014 को हस्तांतरित कर दी गई जबकि यह राशियाँ इन खाते बहियों से घटाई जानी अपेक्षित थी। अतः उपरोक्त बैंक खाता संख्या 441 से हस्तांतरित राशि ₹15893 व ₹10267 कुल ₹26160 को पुनः इसे खाते में क्रेडिट/जमा किया जाए व इन अग्रिम राशियों को कर्मचारियों के सी0पी0एफ0 के बही खातों से किया जाए। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

### (ii) प्राप्ति एवं भुगतान खाते का निर्माण न करनाः–

मान्य लेखा सिद्धान्तों के अनुसार किसी भी सरकारी संस्था/न्यास की निधियों के लेखों का रख–रखाव करने हेतु रोकड़ बही, प्राप्ति एवं भुगतान खाता, आय–व्यय खाता व तुलन पत्र तैयार किए जाते है। परन्तु हिमुडा द्वारा अंशदायी भविष्य निधि से सम्बन्धित फंड के प्राप्ति एवं भुगतान खाते का निर्माण ही नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान उक्त निधि में कुल प्राप्ति एवं भुगतान राशि की स्थिति स्पष्ट न हो सकी। अतः उक्त महत्वपूर्ण अपेक्षित अभिलेख का निर्माण न करने का तथ्यों सहित स्पष्टीकरण दिया जाये तथा भविष्य में इस अभिलेख को आवश्यक रूप से तैयार करना सुनिश्चित किया जाये। कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

**(iii) नगर विकास प्राधिकरण से सी0पी0एफ0 न्योक्ता अंशान की राशि ₹259.32 लाख को अंशदायी भविष्य निधि के तुलन पत्र में परिलक्षित न करने बारेः–**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पूर्व में नगर विकास प्राधिकरण से हिमुडा में विलीन (Merge) किए गए कर्मचारियों के स्वयं के मासिक भविष्य निधि अंशदान को अन्य कर्मचारियों सहित अंशदायी भविष्य निधि के तुलन पत्र में शामिल किया गया था। परन्तु निम्न विवरणानुसार इनकी नियोक्ता आंदान की राशि को उकत तुलन पत्र में शामिल/परिलक्षित नहीं किया गया था जिसका दिनांक 31.3.2014 तक पृथक से रखी गई रोकड़ बही अनुसार अन्तशेष ₹25932159/– था जिसमें 204 कर्मचारियों का नियोक्ता अंशदान शामिल था। इसमें से ₹22700000/– की राशि दिनांक 16.5.2013 का यूको बैंक के सावधि जमा (खाता संख्या 25574) में 8.90**%** पर एक वर्ष के लिए निवेशित की गई थी जबकि शेष ₹3232159/– की राशि को यूको बैंक के ही बचत खाता संख्या 0980110004524 में जमा रखा गया था। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत खातों का निर्माण भी नहीं किया गया था जिससे यह ज्ञात हो सके कि एक निश्चित तिथि को किसी कर्मचारी के व्यक्तिगत खाते में नियेक्ता अंशदान की कितनी राशि शेष है। अतः पाई गई त्रुटियों बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा पूर्व में नगर विकास प्राधिकरण से हिमुडा में विलीन (Merge) किए गए कर्मचारियों की नियोक्ता अंशदान की राशि को अंशदायी भविष्य निधि के तुलन पत्र में परिलक्षित किया जाये व इनके व्यक्तिगत खातों का शीघ्र निर्माण सुनिश्चित किया जाये। कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये।

**(iv) तुलन पत्र में निधि के अन्त शेष व प्रारम्भिक शेष में ₹30.30 लाख का अन्तर पाया जानाः–**

अंशदायी भविष्य निधि के वर्ष 2012–13 के तुलन पत्र के दायित्व पक्ष में सी0पी0एफ0 सरप्लस लेखा शीर्षक का दिनांक 31.3.2013 को अन्त शेष ₹37686992.40 दर्शाया गया था जबकि वर्ष 2013–14 के तुलन पत्र में दिनांक 1.4.2014 को उक्त लेखा शीर्षक का प्रारम्भिक शेष ₹40717290.40 था। परिणामस्वरूप उक्त लेखा शीर्षक के अन्त एवं प्रारम्भिक शेष में ₹3030298.00 का अन्तर पाया गया जो कि मान्य लेखा सिद्धान्तो के अनुरूप नहीं है। अतः

पाये गए अन्तर बारे तथ्यों सहित पूर्ण स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इस सम्बन्ध में अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करके अंकेक्षण को तदानुसार अवगत करवाया जाये।

### (v) नियमित कर्मचारियों के सावधि जमा लेखा शीर्षक में ₹290/– का अन्तर पाया जानाः–

अंशदायी भविष्य निधि के वर्ष 2013–14 के तुलन पत्र के सम्पत्ति पक्ष में नियमित कर्मचारियों के सावधि जमा लेखा शीर्षक लेखा के अन्तर्गत ₹303532965/– की राशि दर्शाई गई थी जबकि अभिलेखानुसार वास्तव में उक्त लेखा शीर्षक के अन्तर्गत ₹303532675/– की राशि ही निवेशित थी। इस प्रकार उक्त लेखा शीर्षक में ₹290/– का अन्तर पाया गया जिसका तुरन्त सुधार करके अंकेक्षण को भी तदानुसार अवगत करवाया जाये।

### (vi) बैंक द्वारा स्त्रोत पर काटी गई आयकर राशि ₹3.16 लाख का प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करनाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अंशदायी भविष्य निधि के वर्ष 2013–14 के तुलन पत्र के सम्पत्ति पक्ष में सावधि जमा निवेश पर प्राप्त ब्याज की राशि से ₹316195.59 की बैंक द्वारा स्त्रोत पर आयकर की कटौती की गई थी जिसे "TDS of FDR Receivable from IT Deptt." लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाया गया था। परन्तु इस आयकर कटौती के सम्बन्ध में बैंक द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र अंकेक्षण मे ंउपलब्ध नहीं करवाए गए जिसके अभाव में उक्त राशि की पुष्टि नहीं हो सकी। इसके अतिरिक्त बैंक द्वारा उक्त स्त्रोत पर आयकर की कटौती बारे नियमानुसार मामला बैंक से उठाया जाये तथा इस राशि को तदानुसार बैंक से वापिस प्राप्त किया जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

### (vii) तुलन पत्र को तुलनात्मक रूप में तैयार न करने बारेः'–

अंशदायी भविष्य निधि के वर्ष 2013–14 के तुलन पत्र की जाँच करने पर पाया गया कि तुलनात्मक रूप (Comparative Form) में तैयार नहीं किया गया था। वर्ष 2013–14 के तुलन पत्र के साथ वर्ष 2012–13 के तुलन पत्र की मदें नहीं दर्शाई गई थी। अतः उक्त तुलन पत्र की सम्पत्ति एवं दायित्व की मदों को तुलनात्मक रूप में तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि इनमें दशाई गई मदों का तुलनात्मक अध्ययन करके इनमें पाई गई वृद्धि/कमी का आंकलन करके अपेक्षित सुधार हेतु सुझाव दिये जा सके। अतः वर्ष 2013–14

का तुलन पत्र तुलनात्मक रूप (Comprative Form) में तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाई जानी सुनिश्चित की जाए।

**(viii) प्रावधानों के विपरीत अनुबन्ध कर्मचारियों के अंशदायी भविष्य निधि में नियोक्ता शेयर की राशि ₹10.16 लाख को जमा करनाः—**

हिमुडा के अनुबन्ध कर्मचारियों से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि माह 03/2014 तक ₹1016590/— की नियोक्ता शेयर की राशि अनुबन्ध कर्मचारियों के अंशदायी भविष्य निधि में जमा करवाई गई थी। अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार अनुबन्ध कर्मचारियों के लिये अंशदायी भविष्य निधि की कोई योजना लागू नहीं थी जबकि हिमुडा द्वारा इन कर्मचारियों के पक्ष में न केवल उक्त योजना को लागू ही किया बल्कि कर्मचारियों के अंशदान के समतुल्य नियोक्ता शेयर की राशि भी फण्ड में जमा की गई। परिणामस्वरूप माह 03/2014 तक कुल ₹1016590/— की नियोक्ता शेयर की राशि अनुबन्ध कर्मचारियों के खातो मे अनुबन्ध के प्रावधानों के विपरीत जमा की गई जिसका विवरण निम्न प्रकार से था। अतः अनियमित प्रकार से नियोक्ता शेयर की सी0पी0एफ0 मे जमा राशि बारे अनुबन्ध के प्रावधानों के दृष्टिगत तथ्यों सहित स्पष्टीकरण दिया जाए अन्यथा इस प्रथा पर तुरन्त प्रभाव से रोक लगाई जाये। इसके साथ ही इस प्रकार की समस्त राशि को हिमुडा के खातो में ब्याज सहित वापिस जमा किया जाये तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जायेः—

| क्र0सं0 | अनुबन्ध कर्मचारियों का नाम व पदमान सर्वश्री | सी0पी0एफ0 खाता सं0 | माह 03/2014 तक नियोक्ता शेयर की जमा राशि (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 | ओमेश सिंह, कनिष्ठ अभियन्ता | 977 | 88888 |
| 2 | जितेन्दर पुरी, कनिष्ठ अभियन्ता | 980 | 82756 |
| 3 | हिमाचली देवी, लिपिक | 972 | 54660 |
| 4 | अंकुश वर्मा, लिपिक | 970 | 53410 |
| 5 | विनोद कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता | 971 | 102592 |
| 6 | ओम चौहान, विधि सहायक | 962 | 117799 |
| 7 | राकेश पाल राणा, कनिष्ठ अभियन्ता | 984 | 81766 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8 | अजय सिंह, कनिष्ठ अभियन्ता | 979 | 88944 |
| 9 | दुगला, कनिष्ठ अभियन्ता | 973 | 101325 |
| 10 | विरेन्दर कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता | 978 | 88944 |
| 11 | भगवान चन्द, कनिष्ठ अभियन्ता | 981 | 70087 |
| 12 | राजेश कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता | 983 | 85419 |
| | | **कुल** | **1016590** |

## 31 ग्रैचुइटी फंडः–

हिमुडा द्वारा ग्रैचयुटी फंड से सम्बन्धित तुलन पत्र (Balance Sheet) अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत किया गया। इस तुलन पत्र के सम्बन्ध में अंकेक्षण में उपलब्ध करवाये गए अभिलेख की जाँच करने पर निम्न आपत्तियाँ दर्ज की गईः–

### (i) Bajaj Allianz Life Insurance Company Limited में निवेशित राशि से राशि ₹0.82 लाख की अनियमित कटौती बारेः–

वर्ष 2013–14 के तुलन पत्र की सम्पत्ति पक्ष में ₹27731754 / – की राशि Bajaj Allianz Life Insurance Company Limited में निवेशित की गई दर्शाई गई थी। सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त कम्पनी द्वारा दिनांक 30.3.2014 व 31.3.2014 को क्रमशः ₹39133 (34828 मोर्टलिटी शूल्क+4305 सर्विस टैक्स) व ₹43074 / – (38336 मोर्टलिटी शुल्क+ 4738 सर्विस टैक्स) के रूप में कुल ₹82207 / – की कटौती की गई थी। परिणामस्वरूप वास्तव में उक्त निवेशित राशि का दिनांक 31.3.2014 को अन्त शेष ₹27731754 / – के स्थान पर ₹27813961 / – (27731754+82207) अपेक्षित था। उल्लेखनीय है कि इस प्रकार की अन्य वित्तीय संस्थाओं में हिमुडा द्वारा निवेशित की गई राशि पर ऐसी कोई कटौती नहीं की गई थी। अतः ₹82207 / – की राशि की कटौती को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इस राशि को उक्त कम्पनी से वसूल किया जाए कृत कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण को अवगत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

**(ii) तुलन पत्र को तुलनाप्तमक रूप में तैयार न करने बारेः–**

ग्रैचुइटी निधि के वर्ष 2013–14 के तुलन पत्र की जाँच करने पर पाया गया कि इसे तुलनात्मक रूप (Comparative Form) में तैयार नहीं किया गया था। वर्ष 2013–14 के तुलन पत्र के साथ वर्ष 2012–13 के तुलन पत्र की मदें नहीं दर्शाई गई थी। अतः उक्त तुलन पत्र की सम्पत्ति एवं दायित्व की मदों को तुलनात्मक रूप में तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि इनमें दर्शाई गई मदों का तुलनात्मक अध्ययन करके इनमें पाई गई वृद्धि/कमी का आंकलन करके अपेक्षित सुधार हेतु सुझााव दिये जा सके। अतः वर्ष 2013–14 का तुलन पत्र तुलनात्मक रूप (Comparative Form) में तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाई जानी सुनिश्चित की जाए।

**(iii) विभिन्न लेखा शीर्षकों के अन्तर्गत दर्शाई गई राशि के सम्बन्ध में सवतः स्पष्ट अभिलेख प्रस्तुत न करने बारेः–**

| लेखा शीर्षक | राशि | विवरण | टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| Audit Fees | 5618 | आय एवं व्यय खाता की व्यय साईड दर्शाया गया है | इन व्ययों के सम्बन्ध में कोई स्वतः स्पष्ट विवरण नहीं दिया गया था तथा न ही इस व्यय से सम्बन्धित कोई वाउचर अंकेक्षण में जाँच के लिए उपलब्ध करवाया गया। अतः इस सम्बन्ध में आवश्यक अभिलेख आगामी अंकेक्षण मे जाँच हेतु उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। |
| Legal Fees | 2500 | आय एवं व्यय खाता की व्यय साईड दर्शाया गया है | |
| Gratuity payments received from LIC | 19131071 | प्राप्ति एवं भुगतान खाते की प्राप्ति साईड दर्शाया गया है | एल0आई0सी0 से प्राप्त राशि एवं हिमुडा कर्मचारियों को वर्ष 2013–14 में किए गए ग्रैचुइटी भुगतान से सम्बन्धित कोई भी स्वतः स्पष्ट अभिलेख अंकेक्षण में जाँच के लिए प्रस्तुत नहीं किया |
| Gratuity payments made to employees | 19708534 | प्राप्ति एवं भुगतान खाते की भुगतान | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | साईड दर्शाया गया है | गया जिसके अभाव में इस लेखा शीर्षकों के अन्तर्गत दर्शाई गई राशि की सत्यता की जाँच नहीं की जा सकी। अतः इस सम्बन्ध में आवश्यक अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान जाँच हेतु उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। |

**(iv) प्रतिनियुक्ति पर गये हिमुडा कर्मचारियों की ग्रेच्युटी अंशदान के रूप में ₹8.44 लाख की राशि सम्बन्धित विभागों से प्राप्त न करनाः–**

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि दिनांक 31.03.2014 तक हिमुडा के विभिन्न कर्मचारी अन्यों विभागो में प्रतिनियुक्ति पर तैनात थे। जिनका विवरण निम्न दिया गया है। इन कर्मचारियों की ग्रैचुईटी अंशदान की राशि जो कि दिनांक 31.3.2014 तक ₹844256.57 बनती थी, जिसका विवरण निम्न वर्णित है, को सम्बन्धित विभागों से प्राप्त नहीं किया गया था। यहां यह स्पष्ट करना भी आवश्यक है कि उक्त प्राप्य राशि को हिमुडा के दिनांक 31.03.2014 को तैयार तुलन पत्र में सम्पत्ति पक्ष भी नहीं दर्शाया गया था जो कि दोहरी लेखांकन प्रणाली के नियमों के विरूद्ध है। अतः उक्त राशि को सम्बन्धित विभागों से तुरन्त प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाये तथा साथ ही इस प्रकार की समस्त प्राप्य राशि को तुलन पत्र में सम्पत्ति साईड में दर्शाया जाये। कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को शीघ्र अवगत करवाया जाए।

| **क्र0सं0** | **विभाग का नाम जहां कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर गये** | **प्रतिनियुक्ति पर गये कर्मचारी का नाम व पदनाम सर्वश्री** | | **दिनाक 31.3.2013 तक अन्य विभागों से ग्रेच्युटी अंशदान की प्राप्त राशि (₹)** |
|---|---|---|---|---|
| 1 | एच0पी0एस0एस0सी0 हमीरपुर | i | राम प्रसाद, बेलदार | 27037.81 |
| | | ii | किशोरी लाल, चौकीदार | 37156.67 |
| | | iii | केवल राम, चौकीदार | 58599.76 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | iv | कुलदीप चन्द, बेलदार | 36111.26 |
| | | v | सुरिन्दर कुमार, चपड़ासी | 37564.64 |
| 2 | डी0सी0 ऑफिस शिमला | i | बलदेव राज, बेलदार | 35933.98 |
| | | ii | किरपा राम, बलदार | 34034.01 |
| | | iii | इन्द्र सिंह, बेलदार | 28052.79 |
| | | iv | जय चन्द, बेलदार | 34180.59 |
| | | v | सालिग राम, बेलदार | 36389.20 |
| 3 | आबकारी एवम् कराधान विभाग शिमला | i | रमेश चन्द, बेलदार | 32257.55 |
| | | ii | हेत राम, बेलदार | 31246.25 |
| | | iii | लछमी नन्द, बेलदार | 39429.02 |
| | | iv | चंदु राम, बेलदार | 31356.38 |
| | | v | देस राज, बेलदार | 80580.41 |
| | | vi | सुरेश कुमार, बेलदार | 43679.23 |
| | | vii | अनिल कुमार, बेलदार | 40871.70 |
| | | viii | नेगी राम, बेलदार | 31651.73 |
| | | ix | इन्द्र देव नेगी, चपड़ासी | 148123.59 |
| | | | **कुल** | **844256.57** |

## 32 Leave Encashment फंडः–

हिमुडा द्वारा Leave Encashment फंड से सम्बन्धित तुलन पत्र अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत किया गया। इस तुलन पत्र के सम्बन्ध में अंकेक्षण में उपलब्ध करवाये गए अभिलेख की जाँच करने पर निम्न आपत्तियाँ पाई गईः–

### (i) Leave Encashment निधि की रोकड़ बही का निर्माण न करनाः–

Leave Encashment निधि के लिए अलग से रोकड़ बही का निमार्ण नहीं किया गया था। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 58/2015, दिनांक 19.3.15 के द्वारा सूचना माँगी गई थी जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या 2014, दिनांक 21.3.2015 हिमुडा द्वारा सूचित

किया गया कि उक्त निधि हेतु अलग से रोकड़ बही नहीं लगाई गई है बल्कि मुख्य रोकड़ बही में ही इसका लेखा–जोखा किया जा रहा है तथा भविष्य में इसका अलग से निर्माण कर लिया जाएगा। इस प्रकार स्पष्ट है की उक्त निधि से सम्बन्धित वित्तीय लेन–देन का लेखांकन अलग से रोकड़ बही न करना अनियमित ही नही अपितु आपत्तिजनक भी है। अतः उक्त महत्वपूर्ण अभिलेख तुरन्त तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाये ताकि Leave Encashment निधि से सम्बन्धित समस्त वित्तीय लेन–देन को इसमें दर्ज किया जा सके व किसी भी प्रकार की अनियमितता से बचा जा सके। कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये।

### (ii) तुलन पत्र को तुलनात्मक रूप में तैयार न करने बारेः–

Leave Encashment Fund के वर्ष 2013–14 के तुलन पत्र की जाँच करने पर पाया गया कि इसे तुलनात्मक रूप (Comparative Form) में तैयार नहीं किया गया था। वर्ष 2013–14 के तुलन पत्र के साथ वर्ष 2012–13 क तुलन पत्र की मदें नहीं दर्शाई गई थी। अतः उक्त तुलन पत्र की सम्पत्ति एवं दायित्व की मदों को तुलनात्मक रूप में तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि इनमें दर्शाई गई मदों का तुलनात्मक अध्ययन करके इनमें पाई गई वृद्धि/कमी का आंकलन करके अपेक्षित सुधार हेतु सुझाव दिये जा सके। अतः वर्ष 2013–14 का तुलन पत्र तुलनात्मक रूप (Comparative Form) में तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाई जानी सुनिश्चित की जाए।

## 33 बैंक समाधान विवरणः–

### ₹222.76 लाख की राशि का बैंक समाधान न करनाः–

वर्ष 2013–2014 के दौरान हिमुडा मुख्यालय द्वारा 21 विभिन्न बैंकों में चालू/बचत खातों का परिचालन किया गया था। दिनाँक 31.03.2014 को रोकड़ बही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष में पाये गए अन्तर के सम्बन्ध में केवल 16 बैकों की ही बैंक समाधान विवरणियाँ अंकेक्षण में प्रस्तुत की गई जो कि **परिशिष्ट "झ"** पर संलग्न है तथा जिनके सम्बन्ध में टिप्पणियों/आपत्तियों सहित विवरण निम्न दिया गया है। शेष 5 बैंकों की समाधान विवरणियाँ अंकेक्षण मे प्रस्तुत नहीं की गई जिनके अभाव रोकड़ बही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष/अन्तर की राशि ₹22276068.79 की अपेक्षित जाँच पड़ताल अंकेक्षण में नहीं की जा सकी

जबकि अंकेक्षण अधियाचना संख्या 02/2015, दिनांक 21.1.2015, 45/2015, दिनांक 12.3.2015 व 55/2015 दिनांक 16.3.2015 द्वारा अपेक्षित अभिलेख मांगने पर भी उक्त 5 बैंकों से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण समाप्ति तक प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार अपेक्षित अभिलेंख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना तथा इतनी अधिक राशि का लेखों में समाधान/समाशोधन न करना अनियमित ही नहीं अपितु आपत्तिजनक भी है। ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार की गम्भीर अनियमितत/दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता, जिसका पूर्ण विवरण आपत्तियों सहित निम्न दिया गया है। अतः पाई गई गम्भीर त्रुटि व अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे तथ्यों सहित वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा रोकड़ बही एवं बैंक शेष/अन्तर की राशि ₹22276068.79 का शीघ्र समाधान/समाशोधन सुनिश्चित किया जाये। साथ ही गम्भीर मामला हिमुडा के उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ उचित एवं शीघ्र कार्यवाही हेतु विशेष रूप से ध्यान में लाया जाता हैः–

## 1) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दी माल शिमला (मुख्य शाखा खाता संख्या 10835924576):–

दिनांक 31.3.2014 को रोकड़ वही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष निम्न थाः–

| बैंक का नाम | रोकड़ बही अनुसार शेष | बैंक अनुसार शेष | अन्तर |
|---|---|---|---|
| स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दी मॉल शिमला | 2339203.71 | 156217.71 | 2182986.00 |

दिनांक 31.3.2014 को रोकड़ बही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष में पाये गए अन्तर के सम्बन्ध में अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत की गई बैंक समाधान विवरणी प्रस्तुत की गई जिसकी विस्तृत जाँच में निम्न आपत्तियाँ पाई गईः–

## (क) ₹494882/– राशियाँ अनुचित रूप से डेबिट/नाम किया जानाः–

बैंक द्वारा निम्नलिखित राशियाँ डेबिट की गई थी जबकि रोकड़ बही मे इस प्रकार की कोई भी प्रविष्टि भुगतान काल्म में नहीं पाई गई तथा न ही इस राशि का कोई समाधान किया गया था। अतः यह सुझाव दिया जाता है उक्त राशियों के समाधान हेतु मामला बैंक से उठाया जाए व आवश्यक समाधान लेखों मे किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

| क्रमाँक | दिनांक | बैंक द्वारा डेबिट/नाम डाली गई राशि |
|---|---|---|
| 1 | 27.9.2009 का शेष | 50000 |
| 2 | चैक संख्या 381790, दिनांक 16.1.2004/23.12. 2003 | 2000 |
| 3 | चैक संख्या 144605, दिनांक 13.4.2004 | 257804 |
| 4 | दिनांक 17.5.2006 | 4055 |
| 5 | बैंक समाधान विवरण 2004–05 अनुसार | 181023 |
| | **कुल** | **494882** |

### (ख) ₹63174/– बैंक क्रेडिट राशियों का समाधान न करनाः–

निम्नलिखित राशियाँ बैंक समाधान विवरण में जमा की गई थी अर्थात ये राशियाँ बैंक में तो जमा/क्रेडिट थी परन्तु रोकड़ बही में ये राशियाँ जमा नहीं पाई गई न ही इन राशियों का विस्तृत विवरण बैंक समाधान विवरणी में दिया गया था जोकि अपने–आप में ही एक गम्भीर आपत्ति है। अतः बैंक द्वारा उपरोक्त क्रेडिट के सम्बन्ध में मामला बैंक से उठाया जाए व वस्तुस्थिति से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

| क्रमाँक | राशि का संक्षिप्त विवरण | राशि |
|---|---|---|
| 1 | वर्ष 2003–2004 में बैंक द्वारा दिया गया क्रेडिट (पूर्ण विवरण नहीं दिया गया है) | 63174 |

### (ग) ₹3777/– का बैंक द्वारा क्रेडिट न दिया जानाः–

निम्नलिखित चैक बैंक में जमा करवाए गए परन्तु बैंक द्वारा इनके एवज में क्रेडिट नहीं दिया गया है जिसका विस्तृत विवरण निम्न दिया गया हैः–

| क्रमाँक | चैक सं0/दिनांक व बैंक का नाम | चैक को बैंक में जमा करने की तिथि | राशि |
|---|---|---|---|
| 1 | 448840 दिनांक 01.12.2004, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला | 04.12.2004 | 1494 |
| 2 | 349286 दिनांक 04.12.2004 आई0सी0आई0सी0 आई0 बैंक | 04.12.2004 | 2283 |
| | | **कुल** | **3777** |

## (घ) ₹435501/– का बैंक द्वारा क्रेडिट न दिया जाना:–

प्रस्तुत की गई बैंक समाधान विवरणी में निम्न राशियाँ मात्र डेबिट (–) की गई है अर्थात ये राशियाँ बैंक द्वारा खाते के क्रेडिट/जमा में कम दर्शाई गई है तथा बैंक समाधान विवरणी में इस सन्दर्भ में पूर्ण विवरण नहीं दिया गया है न ही इन राशियों का कोई समाधान किया गया है। अतः बैंक द्वारा क्रेडिट न दिये जाने के सम्बन्ध में मामला बैंक से उठाया जाए व वस्तुस्थिति से इस विभाग को अवगत करवाया जाए जिसका पूर्ण विवरण निम्नलिखित हैः–

| क्रमाँक | विवरण जैसा कि बैंक समाधान विवरणी में दिया गया था | राशि |
|---|---|---|
| 1 | कोई विवरण नहीं दिया गया है | 298382 |
| 2 | बैंक द्वारा क्रेडिट नहीं दिया गया है | 113940 |
| 3 | कोई विवरण नहीं दिया गया है | 23179 |
| | **कुल योग** | **435501** |

## (ङ) ₹1312000/– के चैक से भुगतान राशि का रोकड़ बही में लेखांकन न करना:–

चैक संख्या 412604, के द्वारा ₹1312000/– की राशि का दिनांक 13.4.2006 को बैंक द्वारा भुगतान किया गया परन्तु दिनांक 31.3.2014 तक इस राशि का लेखांकन रोकड़ बही में

नहीं किया गया था। गत कई वर्षों से उक्त राशि का समाधान न करना अपने आप में एक गम्भीर अनियमितता है। अतः पाई गई त्रुटि बारे तथ्यों सहित उचित स्पष्टीकरण दिया जाये तथा इस सम्बन्ध में रोकड़ बही/लेखों में तुरन्त समाधान किया जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

**2) पंजाब एंड सिंध बैंक, द रिज शिमला (खाता संख्या 01711100001102):—**

दिनांक 31.3.2014 को रोकड़ वही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष निम्न था:—

| **बैंक का नाम** | **रोकड़ बही अनुसार शेष (₹)** | **बैंक अनुसार शेष (₹)** | **अन्तर (₹)** |
|---|---|---|---|
| पंजाब एंड सिंध बैंक | 425139.54 | 424970.54 | 169 |

**3) आई0सी0आई0सी0आई0 बैंकः— (खाता संख्या 168)**

दिनांक 31.3.2014 को रोकड़ वही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष निम्न था:—

| **बैंक का नाम** | **रोकड़ बही अनुसार शेष (₹)** | **बैंक अनुसार शेष (₹)** | **अन्तर (₹)** |
|---|---|---|---|
| आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक | 400956.22 | 394084.17 | 6872.05 |

दिनांक 31.3.2014 को रोकड़ बही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष में पाये गए अन्तर के सम्बन्ध में अंकेक्षण हेतु बैंक समाधान विवरणी प्रस्तुत की गई जिसकी विस्तृत जाँच में निम्न आपत्तियाँ पाई गई:—

**(क) ₹6872.05 अनुचित रूप से डेबिट/नाम किया जाना:—**

बैंक समाधान विवरणी अनुसार बैंक द्वारा वर्ष 2003—04 में ₹6872/— की राशि अनुचित रूप से डेबिट/नाम की गई थी जिस सम्बन्ध में मामला क्रेडिट/जमा लेने हेतु या समाधान हेतु बैंक से उठाया जाए व की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**4) आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक, दि मॉल शिमला (चालू खाता संख्या 635305001255):—**

दिनांक 31.3.2014 को रोकड़ वही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष निम्न था:—

| बैंक का नाम | रोकड़ बही अनुसार शेष | बैंक अनुसार शेष | अन्तर |
|---|---|---|---|
| आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक | 5590925 | 5351996.64 | 238928.36 |

दिनांक 31.3.2014 को रोकड़ बही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष में पाये गए अन्तर के सम्बन्ध में अंकेक्षण हेतु बैंक समाधान विवरणी प्रस्तुत की गई जिसकी विस्तृत जाँच में निम्न आपत्तियाँ पाई गईः–

**(क) ₹36964/– की राशि के जारी चैकों का बैंक द्वारा भुगतान न करनाः–**

वर्ष 2013–14 में विभिन्न चैक, जिनकी सूची बैंक समाधान में विवरण में उपलब्ध है, बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत किए गए परन्तु दिनांक 31.3.2014 तक बैंक द्वारा इन चैकों का भुगतान नहीं किया गया था। अतः इस सम्बन्ध में मामला बैंक से उठाया जाये तथा लेखों में आवश्यक समाधान करके कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

**(ख) ₹275660/– की राशि के जमा किए गए ड्राफ्ट को बैंक द्वारा क्रेडिट न करनाः–**

रोकड़ वर्ष पृष्ठ–96 पर वाउचर संख्या 2184, दिनांक 28.3.2014 के अन्तर्गत ₹431618/– की राशि के ड्राफ्ट बैंक में जमा किए गए परन्तु दिनांक 31.3.2014 तक बैंक द्वारा केवल ₹155958/– की राशि का ही बैंक खाते में क्रेडिट दिया गया। अतः शेष ₹275660/– की राशि का क्रेडिट लेने हेतु मामला बैंक से उठाया जाये तथा लेखों में आवश्यक समाधान करके कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

**5) एच0डी0एफ0सी0 बैंक, दी मॉल शिमला (खाता संख्या 05242320000112):–**

दिनांक 31.3.2014 को रोकड़ वही अनुसार शेष बैंक अनुसार शेष निम्न थाः–

| बैंक का नाम | रोकड़ बही अनुसार शेष | बैंक अनुसार शेष | अन्तर |
|---|---|---|---|
| एच0डी0एफ0सी0 बैंक | 5272567.21 | 5006067.21 | 266500.00 |

31.3.2014 को रोकड़ बही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष में पाये गए अन्तर के सम्बन्ध में अंकेक्षण हेतु बैंक विवरणी प्रस्तुत की गई जिसकी विस्तृत जाँच में निम्न आपत्तियाँ पाई गईः–

**(क) ₹133100/– के जमा करवाए गए ड्राफ्ट का बैंक क्रेडिट नहीं दिया जानाः–**

₹133100/– की राशि का ड्राफ्ट संख्या 06182, दिनांक 8.10.2006 बैंक मे जमा करवाया गया परन्तु बैंक द्वारा इसके एवज में क्रेडिट नहीं दिया गया था। अतः बैंक द्वारा ड्राफ्ट की राशि ₹133100/– का क्रेडिट न देने सम्बन्धी मामला बैंक प्राधिकारी से उठाया जाए व राशि को ब्याज सहित बैंक खाते में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

**(ख) बैंक द्वारा वर्ष 2009–10 में ₹128900/– की राशि अनुचित रूप से डेबिट/नाम किया जानाः–**

बैंक द्वारा वर्ष 2009–10 में ₹128900/– की राशि अनुचित रूप से डेबिट/नामे की गई थी जिसका विवरण निम्नलिखित हैः–

| क्रम | दिनांक | राशि जो बैंक द्वारा डेबिट की गई है |
|---|---|---|
| 1 | 07.08.2009 | 86400 |
| 2 | 09.10.2009 | 42500 |
| | **कुल** | **128900** |

अतः इस सम्बन्ध में मामला क्रेडिट/जमा लेने हेतु या समाधान हेतु बैंक से उठाया जाए व की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**6) केनरा बैंक, दी मॉल शिमला (खाता संख्या 1964201000311):–**

दिनांक 31.3.2014 को रोकड़ वही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष निम्न थाः–

| बैंक का नाम | रोकड़ बही अनुसार शेष | बैंक अनुसार शेष | अन्तर |
|---|---|---|---|
| केनरा बैंक | 1128354 | 1106000 | 22354 |

दिनांक 31.3.2014 को रोकड़ बही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष में पाये गए अन्तर के सम्बन्ध में अंकेक्षण हेतु बैंक समाधान विवरणी प्रस्तुत की गई जिसकी विस्तृत जाँच में निम्न आपत्तियाँ पाई गईः–

**(क) ₹7915/– के कालातीत हो चुके जारी चैकों का दिनांक 31.03.2014 तक समाधान नहीं किया जानाः–**

₹7915/– की राशि जो वर्ष 2001–02 व 2003–2004 के दौरान जारी किए गए चैकों से सम्बन्धित थी तथा जो वास्तव में कालातीत हो चुके थे का अंकेक्षण अवधि 31.03.2014 तक कोई भी समाधान नहीं किया गया था। अतः गत कई वर्षों से कालातीत हो चुके इन चैकों का रोकड़ बही में आवश्यक लेखांकन न करने का कारण स्पष्ट करते हुए लेखों में शीघ्र अपेक्षित समाधान/कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाये।

**(ख) ₹30000/– का बैंक समाधान न किया जानाः–**

बैंक समाधान विवरणी में ₹30000/–की राशि बैंक द्वारा डेबिट की गई थी तथा रोकड़ बही में इस प्रकार की कोई भी प्रविष्टि भुगतान कालम में नहीं पाई गई थी न ही इस राशि का कोई समाधान किया गया था। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि ₹30000/– का क्रेडिट लेने हेतु मामला बैंक से उठाया जाए या इस राशि का आवश्यक समाधान लेखों में किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

**7) स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (ईस्ट), शाखा हि0प्र0 सचिवालय (खाता संख्या 55069385958):–**

दिनांक 31.3.2014 को रोकड़ वही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष निम्न थाः–

| बैंक का नाम | रोकड़ बही अनुसार शेष | बैंक अनुसार शेष | अन्तर |
|---|---|---|---|
| स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (ईस्ट) | 7915269.31 | 25390151.31 | 17474882.00 |

दिनांक 31.3.2014 को रोकड़ बही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष में पाये गए अन्तर के सम्बन्ध में अंकेक्षण हेतु बैंक समाधान विवरणी प्रस्तुत की गई जिसकी विस्तृत जाँच में निम्न आपत्तियाँ पाई गईः–

**(क) ₹49500/– राशि का समाधान न करनाः–**

₹49500/– की राशि बैंक समाधान विवरण में जमा की गई थी अर्थात ये राशियाँ बैक मे तो जमा/क्रेडिट थी परन्तु रोकड़ बही में जमा नहीं थी। विस्तृत जाँच पड़ताल में पाया गया कि बैंक में दिनाँक 16.01.2011 को ₹549500/– की राशि जमा थी परन्तु रोकड़ बही में ₹500000/– की राशि ही जमा पाई गई। अतः शेष राशि ₹49500/– का रोकड़ बही में जमा का आवश्यक लेखांकन करके कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**(ख) ₹16688/– राशि का समाधान न करनाः–**

₹16988/– की राशि बैंक समाधान विवरणी में घटाई गई थी अर्थात ये राशियाँ बैंक द्वारा डेबिट की गई थी परन्तु रोकड़ बही से नहीं घटाई गई थी। विस्तृत जाँच पड़ताल में पाया गया कि बैंक में दिनांक 21.09.2012 को ₹11030 व ₹5658 की राशियाँ नाम (डेबिट) की गई थी जिस सम्बन्ध में मामला बैंक से उठाया जाए व आवश्यक समाधान लेखों में किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

**(ग) ₹16719311/– की राशि का लेखों में समाधान न करनाः–**

निम्नलिखित सारणी अनुसार ₹16719311/– की राशियाँ बैंक समाधान विवरणी में जमा की गई थी अर्थात ये राशियाँ बैंक में तो जमा/क्रेडिट थी परन्तु दिनांक 31.3.2014 तक रोकड़ बही में जमा नहीं पाई गई तथा न ही इनके सम्बन्ध में बैंक समाधान विवरणी में विस्तृत विवरण दिया गया था। अतः इन राशियों का विस्तृत विवरण सहित रोकड़ बही में जमा का आवश्यक लेखांकन करके समाधान सुनिश्चित किया जाये व अनुपालना अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

| क्रमांक | दिनांक | राशि |
|---|---|---|
| 1 | 17.2.2014 | 511000 |
| 2 | 12.3.2014 | 454000 |
| 3 | 18.3.2014 | 2089800 |
| 4 | 22.3.2014 | 928800 |
| 5 | 22.3.2014 | 2089800 |
| 6 | 23.3.2014 | 3196000 |

| | | |
|---|---|---|
| 7 | 23.3.2014 | 2088000 |
| 8 | 29.3.2014 | 478089 |
| 9 | 31.3.2014 | 4794710 |
| 10 | विविध वर्ष 2013—14 | 33000 |
| 11 | ब्याज 30.6.2013 | 27751 |
| 12 | ब्याज 31.12.2013 | 28361 |
| | **कुल** | **16719311** |

**8) पंजाब नैशनल बैंक, मुख्य शाखा दी मॉल शिमला (खाता संख्या 0427002100503905):—**

दिनांक 31.3.2014 को रोकड़ वही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष निम्न थाः—

| बैंक का नाम | रोकड़ बही अनुसार शेष | बैंक अनुसार शेष | अन्तर |
|---|---|---|---|
| पंजाब नैशनल बैंक (main) | 23658.74 | 158305.74 | 134647.00 |

दिनांक 31.3.2014 को रोकड़ बही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष में पाये गए अन्तर के सम्बन्ध में अंकेक्षण हेतु बैंक समाधान विवरणी प्रस्तुत की गई जिसकी विस्तृत जाँच में निम्न आपत्तियाँ पाई गईः—

**(क) ₹2370/— राशि का समाधान न करनाः—**

₹2370/— की राशि बैंक समाधान विवरणी में घटाई गई थी अर्थात ये राशि बैक द्वारा दिनांक 15.6.2005 को डेबिट की गई थी परन्तु रोकड़ बही में क्रेडिट नहीं थी। जिस सम्बन्ध में मामला बैंक से उठाया जाए व आवश्यक समाधान लेखों में किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

**(ख) ₹138000/— की राशि का समाधान न करना (चैक संख्या 598134 दिनांक 24.05.2007):—**

₹138000/— की राशि बैंक समाधान विवरणी में घटाई गई थी अर्थात ये राशि बैंक द्वारा दिनांक 24.5.2007 को डेबिट की गई थी परन्तु रोकड़ बही में क्रेडिट नहीं थी। अतः इस सम्बन्ध में मामला बैंक से उठाया जाए व पूर्ण छानबीन करके आवश्यक समाधान

लेखों में किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**(ग) ₹38400/– की राशि का समाधान न करना :–**

₹38400/– की राशि बैंक समाधान विवरणी में घटाई गई थी अर्थात ये राशि वउाचर संख्या 574, दिनांक 18.5.07 को रोकड़ बही में जमा दर्शाई गई थी परन्तु वास्तविक रूप से बैकं खाते में जमा नहीं थी। जिस सम्बन्ध में मामला बैक से उठाया जाए व पूर्ण छानबीन करके आवश्यक समाधान लेखों में किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

**(घ) ₹39271/– की राशि का समाधान न करना :–**

₹39271/– की राशि बैंक समाधान विवरणी में घटाई गई थी अर्थात ये राशियाँ बैंक द्वारा दिनांक 31.3.2008 को डेबिट की गई थी परन्तु रोकड़ बही में क्रेडिट नहीं थी। अतः इस सम्बन्ध में मामला बैक से उठाया जाए व आवश्यक समाधान लेखों में किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

**(ङ) ₹99000/– की राशि का समाधान न करना :–**

₹99000/– की राशि बैंक समाधान विवरणी में घटाई गई थी अर्थात ये राशियाँ वास्तविक रूप से वर्ष 2009–10 में बैंक खाते में जमा दर्शाई गई थी परन्तु रोकड़ बही मे जमा नहीं थी। इस सम्बन्ध में मामला बैक से उठाया जाए व पूर्ण छानबीन करके आवश्यक समाधान लेखों में किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

**(च) ₹73626/– की राशि का समाधान न करना :–**

₹73626/–(₹44230+₹29396) की राशि बैंक समाधान विवरणी में जमा की गई थी अर्थात ये राशिया रोकड़ बही में वाउचर संख्या 4096 दिनांक 31.03.2010 को डेबिट/नाम दर्शाई गई थी परन्तु वास्तविक रूप से बैंक खाते में जमा नहीं थी जिस सम्बन्ध मे पूर्ण छानबीन करके आवश्यक समाधान लेखों में किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

### (छ) ₹180145/– की राशि का समाधान न करनाः–

₹180145/– की राशि बैंक समाधान विवरणी में जमा की गई थी अर्थात ये राशियाँ बैंक खाते मे जमा थी परन्तु रोकड़ बही में जमा नहीं थी जिनका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

| **दिनांक जब यह राशियाँ बैंक में जमा पाई गई** | **जमा का विवरण (बैंक सारणी अनुसार)** | **राशि** |
|---|---|---|
| 14.01.2013 | Cash deposit at parwanoo | 20720 |
| 14.01.2013 | Cash deposit at parwanoo | 2425 |
| 24.9.2013 | जमा का विवरण नहीं दिया गया था | 78500 |
| 24.9.2013 | जमा का विवरण नहीं दिया गया था | 78500 |
| | **कुल योग** | **180145** |

उपरोक्त के सन्दर्भ में पूर्ण छानबीन करके आवश्यक समाधान लेखों में किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

### 9) Indusind बैंक (खाता संख्या 200009262878)

दिनांक 31.3.2014 को रोकड़ वही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष निम्न थाः–

| **बैंक का नाम** | **रोकड़ बही अनुसार शेष** | **बैंक अनुसार शेष** | **अन्तर** |
|---|---|---|---|
| Indusind बैंक | 8457482.75 | 8388946.75 | 68536.00 |

दिनांक 31.3.2014 को रोकड़ बही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष में पाये गए अन्तर के सम्बन्ध में अंकेक्षण हेतु बैंक समाधान विवरणी प्रस्तुत की गई जिसकी विस्तृत जाँच में निम्न आपत्तियाँ पाई गईः–

### (क) ₹58526/– का समाधान न करनाः–

बैंक समाधान विवरणी अनुसार ₹58526/– की राशि विभिन्न तिथियों को बैंक द्वारा डेबिट की गई थी परन्तु रोकड बही में इस प्रकार की कोई भी प्रविष्टि भुगतान कालम में नहीं पाई गई थी जिसका विवरण निम्नलिखित हैः–

| क्रमाँक | दिनांक | राशि जो बैक द्वारा डेबिट की गई थी | टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| 1 | 16.4.2010 | 500000 | बैंक द्वारा चैक संख्या 570119 द्वारा बैंक खाते को डेबिट किया गया |
| 2 | 23.12.2010 | 2352 | बैंक द्वारा चैक संख्या 352716 द्वारा बैंक खाते को डेबिट किया गया |
| 3 | 02.11.2010 | 6174 | बैंक द्वारा चैक संख्या 352639 द्वारा बैंक खाते को डेबिट किया गया |
| | **कुल योग** | **58526** | |

उपरोक्त राशियों का कोई भी समाधान लेखों मे नहीं किया गया था। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि ₹58526/–की राशि का क्रेडिट लेने हेतु मामला बैंक से उठाया जाए या इस राशि का आवश्यक समाधान लेखों में किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

## (ख) ₹20000/–की राशि का समाधान न करनाः–

₹20000/–की राशि बैंक समाधान विवरणी में डेबिट (–) की गई थी अर्थात ये रोकड़ बही में प्राप्ति/क्रेडिट है परन्तु बैंक में क्रेडिट नहीं पाई गई है। अतः इस राशि का समाशोधन बैंक से क्रेडिट लेने हेतु किया जाए या वास्तविक स्थिति अनुसार समाधान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

## (ग) ₹10000/–की राशि का समाधान न करनाः–

₹10000/–(₹5000+₹5000) की राशि बैंक समाधान विवरणी मे ंजमा की गई थी अर्थात ये राशियाँ दिनांक 03.05.2011 को बैंक द्वारा तो जमा/क्रेडिट दर्शाई गई थी परन्तु रोकड़ बही में ये राशियाँ जमा नहीं पाई गई। अतः बैंक द्वारा क्रेडिट दर्शाई गई राशियों के सम्बन्ध में मामला बैंक से उठाया जाए व आवश्यक समाधान लेखों में किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

## 10) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, न्यू शिमला (खाता संख्या 30281134983)

दिनांक 31.3.2014 को रोकड़ वही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष निम्न थाः—

| बैंक का नाम | रोकड़ बही अनुसार शेष | बैंक अनुसार शेष | अन्तर |
|---|---|---|---|
| स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, न्यू शिमला | 334745 | 348269 | 13524 (वर्ष 2013—14 में जमा राशि पर ब्याज) |

## 11) स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (मुख्य शाखा खाता संख्या 55012850093)

दिनांक 31.3.2014 को रोकड़ वही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष निम्न थाः—

| बैंक का नाम | रोकड़ बही अनुसार शेष | बैंक अनुसार शेष | अन्तर |
|---|---|---|---|
| स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, (मुख्य शाखा) | 44861.95 | 39006.95 | 5855.00 |

दिनांक 31.3.2014 को रोकड़ बही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष में पाये गए अन्तर के सम्बन्ध में अंकेक्षण हेतु बैंक समाधान विवरणी प्रस्तुत की गई जिसकी जाँच में निम्न आपत्तियाँ पाई गईः—

### (क) बैंक द्वारा वर्ष 2001—02 में ₹5305 की राशि का अनुचित रूप से डेबिट/नाम किया जानाः—

बैंक द्वारा वर्ष 2001—02 ₹5305/— की राशि अनुचित रूप से डेबिट/नामे की गई थी जिसका विवरण निमनलिखित हैः—

| क्र0 | दिनांक | राशि जो बैंक द्वारा डेबिट की गई है |
|---|---|---|
| 1 | 24.5.2001 | 1865 |
| 2 | 13.8.2001 | 1500 |
| 3 | 11.3.2003 | 1865 |
| 4 | As per statement | 75 |

उपरोक्त के सन्दर्भ में गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी आपत्ति दर्ज की गई परन्तु हिमुडा द्वारा अभी तक इस बारे कोई अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई। अतः इस सम्बन्ध में मामला क्रेडिट/जमा लेने हेतु या समाधान हेतु बैंक से उठाया जाए व की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**(ख) खाते में नियमित लेन–देन न करने के कारण ₹550/– की राशि का बैंक द्वारा प्रभार लगाया जानाः–**

बैंक में नियमित लेन–देन न करने के कारण दिनांक 27.3.2014 को ₹550/– का बैंक द्वारा प्रभार लगाया गया था परन्तु दिनांक 31.3.2014 तक रोकड़ बही में इस राशि का लेखांकन नहीं किया गया था। अतः रोकड़ बही में अपेक्षित लेखांकन पश्चात अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये। साथ ही यह भी सुझाव दिया जाता है कि यदि बैंक में कोई लेन–देन नहीं किया जा रहा है तो खाते को बंद किया जाना ही उचित होगा।

**12) हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड शाखा हि0प्र0 सचिवालय (खाता संख्या 43520199907):–**

दिनांक 31.3.2014 को रोकड़ वही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष निम्न थाः–

| बैंक का नाम | रोकड़ बही अनुसार शेष | बैंक अनुसार शेष | अन्तर |
|---|---|---|---|
| हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड (हि0प्र0 सचिवालय शाखा) | 946392 | 851392 | 95000 |

दिनांक 31.3.2014 को रोकड़ बही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष में पाये गए अन्तर के सम्बन्ध में अंकेक्षण हेतु बैंक समाधान विवरणी प्रस्तुत की गई जिसकी विस्तृत जाँच में निम्न आपत्तियाँ पाई गईः–

**(क) ₹95000/– की राशि का समाधान न करनाः–**

वाऊचर संख्या 3215 दिनाँक 08.02.2011 द्वारा 8842X5000=44210000 राशि के ड्राफ्ट/चैक डिमांड सर्वे प्राप्ति के अन्तर्गत बैंक में जमा करवाए गए थे परन्तु बैंक द्वारा ₹44115000/– की राशि ही क्रेडिट की गई थी इस प्रकार ₹95000/–' की राशि बैकं में कम जमा पाई गई। इस सम्बन्ध में चर्चा के दौरान बताया गया कि ₹95000/– राशि के

ड्राफ्ट/चैक बैंक द्वारा dishonor किए गए। अतः dishonor किए गए ड्राफ्ट/चैक का प्रमाण पत्र बैंक से प्राप्त करके खातों में आवश्यक समाधान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

**13) हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड शाखा छोटा शिमला (खाता संख्या 40620100386):–**

दिनांक 31.3.2014 को रोकड़ वही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष निम्न थाः–

| बैंक का नाम | रोकड़ बही अनुसार शेष | बैंक अनुसार शेष | अन्तर |
|---|---|---|---|
| हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड (छोटा शिमला शाखा) | 1415552 | 1415552 | 0 |

**14) सैन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दी मॉल, शिमला (खाता संख्या 1254060836)**

दिनांक 31.3.2014 को रोकड़ वही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष निम्न थाः–

| बैंक का नाम | रोकड़ बही अनुसार शेष | बैंक अनुसार शेष | अन्तर |
|---|---|---|---|
| सैन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दी मॉल, शिमला | 7980.14 | 7980.14 | 0 |

**15) आईडीबीआई बैंक (खाता संख्या 139102000000198)**

दिनांक 31.3.2014 को रोकड़ वही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष निम्न थाः–

| बैंक का नाम | रोकड़ बही अनुसार शेष | बैंक अनुसार शेष | अन्तर |
|---|---|---|---|
| आईडीबीआई बैंक (IDBI) | 965238 | 965238 | 0 |

**16) येस बैंक, टालैंड, शिमला (खाता संख्या 00919400000263)**

दिनांक 31.3.2014 को रोकड़ वही अनुसार शेष बैंक अनुसार शेष निम्न थाः–

| बैंक का नाम | रोकड़ बही अनुसार शेष | बैंक अनुसार शेष | अन्तर |
|---|---|---|---|
| येस बैंक, टालैंड, शिमला | 3012064 | 3012064 | 0 |

**17) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, दी मॉल, शिमला**

**(i) खाता संख्या 309504010018077**

**(ii) खाता संख्या 309504010032037**

दिनांक 31.3.2014 को रोकड़वही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष निम्न थाः–

| बैंक का नाम | रोकड़ वही अनुसार शेष | बैंक अनुसार शेष | अन्तर |
|---|---|---|---|
| यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, दी मॉल, शिमला | 16203889.91 | 111292848.23 Cr.<br>97514285.70 Dr.<br>कुल 13778562.53 Cr. | 2425327.338 |

दिनांक 31.3.2014 को रोकड़ वही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष में पाये गए अंतर ₹2425327.38 के सम्बन्ध में अंकेक्षण हेतु बैंक समाधान विवरणी प्रस्तुत नहीं की गई जिसके कारण अन्तर की राशि का सत्यापन नहीं किया जा सका जो कि अनियमित ही नहीं अपितु आपत्तिजनक भी है। अतः उपरोक्त अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के समय आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि उक्त दोनों बैंक खातों के लिए रोकड़ बही में एक ही कॉलम बनाया गया था। अतः सुझाव दिया जाता है कि रोकड़ बही में प्रत्येक बैंक खाते के लिए अलग–अलग कॉलम बनाए जाये।

**18) एक्सीस बैंक (Axis Bank) कुसुम्पटी**

**(i) A/C No. 050010200000912 (Under Scheme CAGOS)**

**(ii) A/C No. 050010100045225 (Under SBGOS)**

दिनांक 31.3.2014 को रोकड़वही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष निम्न थाः–

| बैंक का नाम | रोकड़ वही अनुसार शेष | बैंक अनुसार शेष | अन्तर |
|---|---|---|---|
| एक्सीस बैंक (Axis Bank) कुसुम्पटी | 12761001.95 | 7671197.29 (A/C No. 050010200000912)<br>6205615.70 (A/C No. 050010100045225)<br>Total 13876812.99 | 1115811.04 |

31.3.2014 को रोकड़ वही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष में पाये गए अंतर ₹1115811.04 के सम्बन्ध में अंकेक्षण हेतु बैंक समाधान विवरणी प्रस्तुत नहीं की गई जिसके कारण अन्तर की राशि का सत्यापन नहीं किया जा सका जो कि अनियमित ही नहीं अपितु आपत्तिजनक भी है। अतः उपरोक्त अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के समय आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि उक्त दोनों बैंक खातों के लिए रोकड़ बही में एक ही कॉलम बनाया गया था। अतः सुझाव दिया जाता है कि रोकड़ बही में प्रत्येक बैंक खाते के लिए अलग–अलग कॉलम बनाए जाये।

**19) एक्सीस बैंक कुसुम्पटी (Axsis Bank A/C No. 913020033903971) Demand Survey:-**

दिनांक 31.3.2014 को रोकड़वही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष निम्न थाः–

| बैंक का नाम | रोकड़ वही अनुसार शेष | बैंक अनुसार शेष | अन्तर |
|---|---|---|---|
| एक्सीस बैंक (axsis Bank Demand Survey) | 3794000 | 4055000 | 261000 |

दिनांक 31.3.2014 को रोकड़ वही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष में पाये गए अंतर ₹261000 के सम्बन्ध में अंकेक्षण हेतु बैंक समाधान विवरणी प्रस्तुत नहीं गई जिसके कारण अन्तर की राशि का सत्यापन नहीं किया जा सका जो कि अनियमित ही नहीं अपितु आपत्तिजनक भी है। अतः उपरोक्त अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के समय आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

**20) यूको बैंक, निगम बिहार (खाता संख्या 09810200000049):–**

दिनांक 31.3.2014 को रोकड़वही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष निम्न थाः–

| बैंक का नाम | रोकड़ वही अनुसार शेष | बैंक अनुसार शेष | अन्तर |
|---|---|---|---|
| यूको बैंक, निगम बिहार | 17634463.01 | 36086821.54 | 18452358.53 |

दिनांक 31.3.2014 को रोकड़ वही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष में पाये गए अंतर ₹18452358.53 के सम्बन्ध में अंकेक्षण हेतु बैंक समाधान विवरणी प्रस्तुत नहीं की जिसके कारण अन्तर की राशि का सत्यापन नहीं किया जा सका जोकि अनियमित ही नहीं अपितु आपत्तिजनक भी है। अतः उपरोक्त अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के समय आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

**21) पंजाब नैशनल बैंक, कुसुम्पटी, शिमला**

दिनांक 31.3.2014 को रोकड़वही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष निम्न था:–

| बैंक का नाम | रोकड़ वही अनुसार शेष | बैंक अनुसार शेष | अन्तर |
|---|---|---|---|
| पंजाब नैशनल बैंक, कुसुम्पटी, शिमला | 21571.84 | बैंक अनुसार शेष का बैंक द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया | |

दिनांक 31.3.2014 को रोकड़ वही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष में पाये गये अन्तर के सम्बन्ध में अंकेक्षण हेतु न तो बैंक समाधान विवरणी प्रस्तुत की गई और न ही बैंक अनुसार शेष का बैंक द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया। परिणामस्वरूप रोकड़बही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष का 31.3.2014 को सत्यापन नहीं किया जा सका और न ही यह पता लगाया जा सका कि रोकड़ बही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष में कितना अन्तर है जो कि अनियमित ही नहीं अपितु आपत्तिजनक भी है। अतः उक्त अभिलेख आवश्यक रूप से आगामी अंकेक्षण के समय प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

34 **लघु आपति विवरणिका :–** यह अलग से जारी नहीं की गई है।

35 **निष्कर्ष :–**गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों पर समुचित कार्रवाई के अतिरिक्त लेखों में अत्याधिक सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

**पृष्ठांकन संख्या** फिन(एल0ए)एच(2)सी(15)(14)122/88–खण्ड–12–5605–5606 दिनांक 22.09.2015, शिमला–09.

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाती है।

(1) अति मुख्य सचिव (आवास) हि0 प्र0 सरकार शिमला–2 को पैरा 1 (ख) द्वारा वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

**पंजीकृत :–** (2) मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव हि0 प्र0 आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मुख्यालय, शिमला–2 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उत्तर प्रतिवेदन जारी होने के एक मास के भीतर इस विभाग को प्रस्तुत करें।

हस्ता/
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

## परिशिष्ट ''क'' अंकेक्षण प्रतिवेदन पैरा 1 (ग) में सन्दर्भित

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्यालय निगम बिहार शिमला–171002 के अवधि 4/2013 से 3/2014 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर अंकेक्षण पैरों की स्थितिः–

**गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–**

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनिर्णीत पैरों पर की गई कार्यवाही एवं सटिप्पण उत्तर की पड़ताल करने के उपरान्त निर्णीत/अनिर्णीत पैरों की स्थिति निम्न प्रकार से है। आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण को परामर्श दिया जाता है कि अनिर्णीत पैरों के निस्तारण हेतु अविलम्ब वांन्छित कार्यवाही की जानी सुनिश्चित करें ताकि अनिर्णीत पैरों का निस्तारण सम्भव हो सकेः–

**(क) <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/85 से 3/86</u>**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 13 | अनिर्णीत |

**(ख) <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/90 से 3/91</u>**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 6 (ग) | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा 6 (ङ) | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा 6 (च) | अनिर्णीत |

**(ग) <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/92 से 3/93</u>**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 8 (क) | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा 8 (ग) | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा 8 (ङ) | अनिर्णीत |

**(घ) <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/96 से 3/97</u>**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 10 | अनिर्णीत |

**(ङ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/97 से 3/98**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 23(ख) | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा 27 | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा 29(1) | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा 29(2) | अनिर्णीत |
| 5 | पैरा 29(3) | अनिर्णीत |

**(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/98 से 3/99**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 9 | अनिर्णीत |

**(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/99 से 3/2000**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 7 | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा 13 | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा 15 | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा 26 | अनिर्णीत |
| 5 | पैरा 29 (2) | अनिर्णीत |

**(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2000 से 3/2001**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 7 | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा 8 | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा 9 | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा 14 | अनिर्णीत |
| 5 | पैरा 18 | अनिर्णीत |
| 6 | पैरा 19 | अनिर्णीत |
| 7 | पैरा 21 | अनिर्णीत |
| 8 | पैरा 26 | अनिर्णीत |
| 9 | पैरा 27 | अनिर्णीत |
| 10 | पैरा 32 | अनिर्णीत |
| 11 | पैरा 61 | अनिर्णीत |

**(झ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2001 से 2/2002**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 6 | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा 7 | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा 8 | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा 9 (1 से 3) | अनिर्णीत |
| 5 | पैरा 15 (1) | अनिर्णीत |
| 6 | पैरा 27 | अनिर्णीत |
| 7 | पैरा 31 | अनिर्णीत |
| 8 | पैरा 47 | अनिर्णीत |
| 9 | पैरा 48 | अनिर्णीत |
| 10 | पैरा 50 | अनिर्णीत |
| 11 | पैरा 51 | अनिर्णीत |
| 12 | पैरा 52 | अनिर्णीत |
| 13 | पैरा 53 | अनिर्णीत |

**(ञ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2002 से 3/2003**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 13 | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा 18 (1) | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा 18 (2) | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा 18 (3) | अनिर्णीत |
| 5 | पैरा 20 | अनिर्णीत |
| 6 | पैरा 22 | अनिर्णीत |
| 7 | पैरा 35 (क से छ) | अनिर्णीत |

**(ट) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2003 से 3/2004**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 13 | अनिर्णीत |

**(ठ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2004 से 3/2005**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 8 | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा 10 | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा 11 | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा 12 (ख) | अनिर्णीत |
| 5 | पैरा 12 (ग) | अनिर्णीत |
| 6 | पैरा 13 | अनिर्णीत |
| 7 | पैरा 15 | अनिर्णीत |
| 8 | पैरा 23 | अनिर्णीत |
| 9 | पैरा 29(1) | अनिर्णीत |
| 10 | पैरा 29(2) | अनिर्णीत |
| 11 | पैरा 30(क,ख,ग) | अनिर्णीत |
| 12 | पैरा 35 | अनिर्णीत |

**(ड) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2005 से 3/2006**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 6(1) | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा 6(2) | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा 6(4) | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा 6(6) | अनिर्णीत |
| 5 | पैरा 8 | अनिर्णीत |
| 6 | पैरा 9 | अनिर्णीत |
| 7 | पैरा 11 | अनिर्णीत |
| 8 | पैरा 12 | अनिर्णीत |
| 9 | पैरा 13 | अनिर्णीत |
| 10 | पैरा 23(1) | अनिर्णीत |
| 11 | पैरा 23(2) | अनिर्णीत |
| 12 | पैरा 25 | अनिर्णीत |
| 13 | पैरा 31 | अनिर्णीत |
| 14 | पैरा 32 | अनिर्णीत |

**(ढ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2006 से 3/2007**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 12 | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा 20 | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा 23 | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा 24 | अनिर्णीत |
| 5 | पैरा 25 | अनिर्णीत |
| 6 | पैरा 26 | अनिर्णीत |
| 7 | पैरा 27 | अनिर्णीत |
| 8 | पैरा 31 | अनिर्णीत |

**(ण) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2008**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 13 | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा 14 | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा 15 | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा 16 | अनिर्णीत |
| 5 | पैरा 17 | अनिर्णीत |
| 6 | पैरा 18 | अनिर्णीत |
| 7 | पैरा 19 | अनिर्णीत |
| 8 | पैरा 20 | अनिर्णीत |
| 9 | पैरा 21 | अनिर्णीत |
| 10 | पैरा 22 | अनिर्णीत |
| 11 | पैरा 23 | अनिर्णीत |
| 12 | पैरा 24 | अनिर्णीत |
| 13 | पैरा 27 | अनिर्णीत |
| 14 | पैरा 29 | अनिर्णीत |
| 15 | पैरा 30 | अनिर्णीत |

**(त) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2008 से 3/2009**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 10 | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा 18(क) | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा 18(ख) | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा 18(ग) | अनिर्णीत |
| 5 | पैरा 18(घ) | अनिर्णीत |
| 6 | पैरा 18(ङ) | अनिर्णीत |
| 7 | पैरा 18(च) | अनिर्णीत |
| 8 | पैरा 18(छ) | अनिर्णीत |
| 9 | पैरा 18(ज) | अनिर्णीत |
| 10 | पैरा 19 | अनिर्णीत |
| 11 | पैरा 20 | अनिर्णीत |
| 12 | पैरा 22 | अनिर्णीत |
| 13 | पैरा 23 | अनिर्णीत |
| 14 | पैरा 26 | अनिर्णीत |

**(थ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2009 से 3/2010**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 6(ख) | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा 6(ग) | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा 7 | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा 8 | अनिर्णीत |
| 5 | पैरा 9 | अनिर्णीत |
| 6 | पैरा 10 | अनिर्णीत |
| 7 | पैरा 11 | अनिर्णीत |
| 8 | पैरा 13 | अनिर्णीत |
| 9 | पैरा 14 | अनिर्णीत |
| 10 | पैरा 16(ख) | अनिर्णीत |
| 11 | पैरा 17 | अनिर्णीत |
| 12 | पैरा 19 | अनिर्णीत |

| | | |
|---|---|---|
| 13 | पैरा 20 | अनिर्णीत |
| 14 | पैरा 21(1) | अनिर्णीत |
| 15 | पैरा 21(2) | अनिर्णीत |
| 16 | पैरा 22 | अनिर्णीत |
| 17 | पैरा 29 | अनिर्णीत |
| 18 | पैरा 31(1) | अनिर्णीत |
| 19 | पैरा 32 | अनिर्णीत |
| 20 | पैरा 33 | अनिर्णीत |
| 21 | पैरा 34 | अनिर्णीत |
| 22 | पैरा 35(1) | अनिर्णीत |
| 23 | पैरा 39 | अनिर्णीत |
| 24 | पैरा 40 | अनिर्णीत |
| 25 | पैरा 42 | अनिर्णीत |
| 26 | पैरा 44 | अनिर्णीत |
| 27 | पैरा 45 | अनिर्णीत |
| 28 | पैरा 46 | अनिर्णीत |
| 29 | पैरा 47 | अनिर्णीत |

**(थ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2010 से 3/2011**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 4.1 | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा 7 | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा 8 | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा 8.1 | अनिर्णीत |
| 5 | पैरा 8.2 | अनिर्णीत |
| 6 | पैरा 8.3 | अनिर्णीत |
| 7 | पैरा 8.4 | अनिर्णीत |
| 8 | पैरा 8.5 | अनिर्णीत |
| 9 | पैरा 8.6 | अनिर्णीत |
| 10 | पैरा 8.7 | अनिर्णीत |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11 | पैरा 8.8 | अनिर्णीत | |
| 12 | पैरा 8.9 | अनिर्णीत | |
| 13 | पैरा 8.10 | अनिर्णीत | |
| 14 | पैरा 8.11 | निर्णीत | (आवश्यक कार्रवाई उपरान्त) |
| 15 | पैरा 9 | अनिर्णीत | |
| 16 | पैरा 9.1 | अनिर्णीत | |
| 17 | पैरा 10 | अनिर्णीत | |
| 18 | पैरा 11 | अनिर्णीत | |
| 19 | पैरा 12 | अनिर्णीत | |
| 20 | पैरा 13 | अनिर्णीत | |
| 21 | पैरा 14 | अनिर्णीत | |
| 22 | पैरा 14.1 | अनिर्णीत | |
| 23 | पैरा 14.2 | अनिर्णीत | |
| 24 | पैरा 14.3 | अनिर्णीत | |
| 25 | पैरा 14.4 | अनिर्णीत | |
| 26 | पैरा 15 | अनिर्णीत | |
| 27 | पैरा 16 | अनिर्णीत | |
| 28 | पैरा 17 | अनिर्णीत | |
| 29 | पैरा 17.1 | अनिर्णीत | |
| 30 | पैरा 18 | अनिर्णीत | |
| 31 | पैरा 19 | अनिर्णीत | |
| 32 | पैरा 19.1 | अनिर्णीत | |
| 33 | पैरा 20 | अनिर्णीत | |
| 34 | पैरा 21 | अनिर्णीत | |
| 35 | पैरा 22 | अनिर्णीत | |
| 36 | पैरा 23 (क) (ख) | अनिर्णीत | |
| 37 | पैरा 24 | अनिर्णीत | |
| 38 | पैरा 25 | अनिर्णीत | |
| 39 | पैरा 25.1 | अनिर्णीत | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 40 | पैरा 25.2 | अनिर्णीत | |
| 41 | पैरा 26 | अनिर्णीत | |
| 42 | पैरा 27 | अनिर्णीत | |
| 43 | पैरा 28 | निर्णीत | (आवश्यक कार्रवाई उपरान्त) |
| 44 | पैरा 29 | अनिर्णीत | |
| 45 | पैरा 30 | अनिर्णीत | |
| 46 | पैरा 31 | अनिर्णीत | |
| 47 | पैरा 31.1 | अनिर्णीत | |
| 48 | पैरा 31.2 | अनिर्णीत | |
| 49 | पैरा 31.3 | अनिर्णीत | |
| 50 | पैरा 32 | अनिर्णीत | |
| 51 | पैरा 33 | अनिर्णीत | |
| 52 | पैरा 34 | अनिर्णीत | |

**(द) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2011 से 3/2012**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 5 | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा 8 | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा 8.1 | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा 8.2 | अनिर्णीत |
| 5 | पैरा 8.3 | अनिर्णीत |
| 6 | पैरा 8.4 | अनिर्णीत |
| 7 | पैरा 8.5 | अनिर्णीत |
| 8 | पैरा 8.6 | अनिर्णीत |
| 9 | पैरा 9 | अनिर्णीत |
| 10 | पैरा 9.1 | अनिर्णीत |
| 11 | पैरा 9.2 | अनिर्णीत |
| 12 | पैरा 9.3 | अनिर्णीत |
| 13 | पैरा 9.4 | अनिर्णीत |
| 14 | पैरा 9.5 | अनिर्णीत |

| | | |
|---|---|---|
| 15 | पैरा 10 | अनिर्णीत |
| 16 | पैरा 10.1 (1, 2, 3, 4) | अनिर्णीत |
| 17 | पैरा 11 | अनिर्णीत |
| 18 | पैरा 11.1 | अनिर्णीत |
| 19 | पैरा 12 | अनिर्णीत |
| 20 | पैरा 13 | अनिर्णीत |
| 21 | पैरा 14 | अनिर्णीत |
| 22 | पैरा 15 (क, ख) | अनिर्णीत |
| 23 | पैरा 16 | अनिर्णीत |
| 24 | पैरा 17 (क, ख, ग, घ) | अनिर्णीत |
| 25 | पैरा 18 | अनिर्णीत |
| 26 | पैरा 19 | अनिर्णीत |
| 27 | पैरा 19 (1) (क, ख, ग, घ, ङ, च) | अनिर्णीत |
| 28 | पैरा 19 (2) (क) | अनिर्णीत |
| 29 | पैरा 19 (3) (क, ख, ग, घ) | अनिर्णीत |
| 30 | पैरा 19 (4) (क) | अनिर्णीत |
| 31 | पैरा 19 (5) (क, ख, ग) | अनिर्णीत |
| 32 | पैरा 19 (6) (क, ख, ग, घ, ङ, च, छ) | अनिर्णीत |
| 33 | पैरा 19 (7) (क, ख) | अनिर्णीत |
| 34 | पैरा 19 (8) | अनिर्णीत |
| 35 | पैरा 19 (9)(क, ख, ग) | अनिर्णीत |
| 36 | पैरा 19 (10) (क) | अनिर्णीत |
| 37 | पैरा 19 (11) (क) | अनिर्णीत |
| 38 | पैरा 19 (12) (क, ख, ग, घ) | अनिर्णीत |
| 39 | पैरा 19 (13, 14, 15, 16,17, 18, 19) | अनिर्णीत |
| 40 | पैरा 20 | अनिर्णीत |
| 41 | पैरा 20.1 (i, ii, iii) | अनिर्णीत |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 42 | पैरा 20.2 (i) | अनिर्णीत | |
| 43 | पैरा 20.3 (i, ii, iii, iv) | अनिर्णीत | |
| 44 | पैरा 20.3 (v) (क, ख) | अनिर्णीत | |
| 45 | पैरा 20.4 (i) (क, ख, ग) | अनिर्णीत | |
| 46 | पैरा 20.4 ( ii, iii, iv, v, vi, vii, viii, ix, x, xi) | अनिर्णीत | |
| 47 | पैरा 20.4 (xii) (क, ख) | अनिर्णीत | |
| 48 | पैरा 20.4 (xii, xiv) | अनिर्णीत | |
| 49 | पैरा 21 | अनिर्णीत | |
| 50 | पैरा 21.1 | अनिर्णीत | |
| 51 | पैरा 21.2 | अनिर्णीत | |
| 52 | पैरा 21.3 | अनिर्णीत | |
| 53 | पैरा 21.4 | अनिर्णीत | |
| 54 | पैरा 21.5 | अनिर्णीत | |

**(ध) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2012 से 3/2013**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | पैरा 3 | अंशतः निर्णीत | (₹280100 की राशि चैक संख्या 274835 दिनांक 05.02.2015 द्वारा जमा करवाने के पश्चात) |
| 2 | पैरा 4 | निर्णीत | (वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित) |
| 3 | पैरा 5 | निर्णीत | (वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित) |
| 4 | पैरा 6 | निर्णीत | (वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित) |
| 5 | पैरा 7.1 | निर्णीत | (आवश्यक उपलब्ध अभिलेख की पुष्टि उपरान्त) |
| 6 | पैरा 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 | अनिर्णीत | |
| 7 | पैरा 8, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 | अनिर्णीत | |
| 8 | पैरा 9, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 | अनिर्णीत | |
| 9 | पैरा 10, 10.1 | अनिर्णीत | |
| 10 | पैरा 11 | अनिर्णीत | |
| 11 | पैरा 11.1 | निर्णीत | (वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12 | पैरा 11.2 | अनिर्णीत | |
| 13 | पैरा 12.1, 12.2, 12.3,12.4 | अनिर्णीत | |
| 14 | पैरा 13.1 (क) | अनिर्णीत | |
| 15 | पैरा 13.1 (ख) | निर्णीत | (आवश्यक उपलब्ध अभिलेख की पुष्टि एवं स्पष्टीकरण उपरान्त) |
| 16 | पैरा 13.2 | अनिर्णीत | |
| 17 | पैरा 13.3 | निर्णीत | (आवश्यक उपलब्ध अभिलेख की पुष्टि एवं स्पष्टीकरण उपरान्त) |
| 18 | पैरा 14 | अनिर्णीत | |
| 19 | पैरा 15 | निर्णीत | (निर्णीत एवं पुनः प्रारूपित) |
| 20 | पैरा 16 | निर्णीत | (₹3419 की वसूली तथा ₹196 के सन्दर्भ में आवश्यक स्पष्टीकरण के उपरान्त) |
| 21 | पैरा 17 | अनिर्णीत | |
| 22 | पैरा 18 | निर्णीत | (रसीद संख्या 512671 दिनांक 21.01.2015 द्वारा ₹2400 की वसूली के उपरान्त) |
| 23 | पैरा 19 (1) (क), (ख), (ग), (घ), (ङ) | निर्णीत | (बैंक समाधान विवरण की वर्तमान स्थिति वर्तमान अंकेक्षण पड़ताल के उपरान्त) |
| 24 | पैरा 19 (2) | निर्णीत | (बैंक समाधान विवरण की वर्तमान स्थिति वर्तमान अंकेक्षण पड़ताल के उपरान्त) |
| 25 | पैरा 19 (3) (क) | निर्णीत | (बैंक समाधान विवरण की वर्तमान स्थिति वर्तमान अंकेक्षण पड़ताल के उपरान्त) |
| 26 | पैरा 19 (4) | निर्णीत | (बैंक समाधान विवरण की वर्तमान स्थिति वर्तमान अंकेक्षण पड़ताल के उपरान्त) |
| 27 | पैरा 19 (5) (क) (ख) (ग) (घ) | निर्णीत | (बैंक समाधान विवरण की वर्तमान स्थिति वर्तमान अंकेक्षण पड़ताल के उपरान्त) |
| 28 | पैरा19 (6) (क), (ख) | निर्णीत | (बैंक समाधान विवरण की वर्तमान स्थिति वर्तमान अंकेक्षण पड़ताल के उपरान्त) |
| 29 | पैरा 19 (7) (क) | निर्णीत | (बैंक समाधान विवरण की वर्तमान स्थिति वर्तमान अंकेक्षण पड़ताल के उपरान्त) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 30 | पैरा 19 (8) | निर्णीत | (बैंक समाधान विवरण की वर्तमान स्थिति वर्तमान अंकेक्षण पड़ताल के उपरान्त) |
| 31 | पैरा 19 (9) (क), (ख) | निर्णीत | (बैंक समाधान विवरण की वर्तमान स्थिति वर्तमान अंकेक्षण पड़ताल के उपरान्त) |
| 32 | पैरा 19 (10) (क), (ख), (ग), (घ), (ङ) (च), (छ), (ज) (झ), (ञ), (ट), (ठ), (ड), (ढ) | निर्णीत | (बैंक समाधान विवरण की वर्तमान स्थिति वर्तमान अंकेक्षण पड़ताल के उपरान्त) |
| 33 | पैरा 19 (11) | निर्णीत | (बैंक समाधान विवरण की वर्तमान स्थिति वर्तमान अंकेक्षण पड़ताल के उपरान्त) |
| 34 | पैरा 19 (12) (क), (ख), (ग) | निर्णीत | (बैंक समाधान विवरण की वर्तमान स्थिति वर्तमान अंकेक्षण पड़ताल के उपरान्त) |
| 35 | पैरा 19 (13) | निर्णीत | (बैंक समाधान विवरण की वर्तमान स्थिति वर्तमान अंकेक्षण पड़ताल के उपरान्त) |
| 36 | पैरा 19 (14) (क), (ख), (ग) | निर्णीत | (बैंक समाधान विवरण की वर्तमान स्थिति वर्तमान अंकेक्षण पड़ताल के उपरान्त) |
| 37 | पैरा 19 (15) | निर्णीत | (बैंक समाधान विवरण की वर्तमान स्थिति वर्तमान अंकेक्षण पड़ताल के उपरान्त) |
| 38 | पैरा 19 (16) | निर्णीत | (बैंक समाधान विवरण की वर्तमान स्थिति वर्तमान अंकेक्षण पड़ताल के उपरान्त) |
| 39 | पैरा 19 (17) | निर्णीत | (बैंक समाधान विवरण की वर्तमान स्थिति वर्तमान अंकेक्षण पड़ताल के उपरान्त) |
| 40 | पैरा 19 (18) | निर्णीत | (बैंक समाधान विवरण की वर्तमान स्थिति वर्तमान अंकेक्षण पड़ताल के उपरान्त) |
| 41 | पैरा 19 (19) | निर्णीत | (बैंक समाधान विवरण की वर्तमान स्थिति वर्तमान अंकेक्षण पड़ताल के उपरान्त) |
| 42 | पैरा 20 | अनिर्णीत | |
| 43 | पैरा 20.1 (i),(ii),(iii),(iv) | अनिर्णीत | |
| 44 | पैरा 20.2 (i),(ii) | अनिर्णीत | |
| 45 | पैरा 20.3 (i),(ii),(iii) | अनिर्णीत | |

| | | |
|---|---|---|
| 46 | पैरा 20.4 (i) | अनिर्णीत |
| 47 | पैरा 20.5 (i)(क), (ख), (ग) | अनिर्णीत |
| 48 | पैरा 20.5 (ii), (iii), (iv), (v), (vi) (vii), (viii), (ix), (x), (xi) (xii), (xiii) | अनिर्णीत |
| 49 | पैरा 20.6 (i) | अनिर्णीत |
| 50 | पैरा 21, 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 21.5, 21.6 | अनिर्णीत |

**पूर्व शिमला विकास प्राधिकरण के मुख्यालय से सम्बन्धित पैरे :–**

**(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/89 से 3/90**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 27 | अनिर्णीत |

**(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/90 से 3/91**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 63 | अनिर्णीत |

**(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/91 से 3/92**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 5 (ण) | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा 5 (न) | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा 6 (ठ) | अनिर्णीत |

**(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/92 से 3/93**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 5 | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा 28 | अनिर्णीत |

**(ङ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/93 से 3/94**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 7 | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा 30 (ए से सी) | अनिर्णीत |

**(च) <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/94 से 3/95</u>**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 9 | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा 19 | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा 23 | अनिर्णीत |

**(छ) <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/95 से 3/96</u>**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 6 | अनिर्णीत |
| 2 | पेरा 12(5,6,9) | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा 15(5 व 7) | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा 19(डी व ई) | अनिर्णीत |
| 5 | पैरा 32(ए) | अनिर्णीत |

**(ज) <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/96 से 3/97</u>**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 4(11) | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा 6(ज) | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा 9(एफ) | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा 11(1) | अनिर्णीत |
| 5 | पैरा 11(2) | अनिर्णीत |
| 6 | पैरा 11(3) | अनिर्णीत |
| 7 | पैरा 12(1) | अनिर्णीत |
| 8 | पैरा 12(2) | अनिर्णीत |
| 9 | पैरा 12(4) | अनिर्णीत |
| 10 | पैरा 26(क) | अनिर्णीत |
| 11 | पैरा 26(ख) | अनिर्णीत |

**(झ) <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/97 से 3/98</u>**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 6 | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा 8(क) | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा 8(ग),(क) | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा 8(ग,ख) | अनिर्णीत |
| 5 | पैरा 17(1) | अनिर्णीत |

| | | |
|---|---|---|
| 6 | पैरा 17(2) | अनिर्णीत |
| 7 | पैरा 18(ख) | अनिर्णीत |
| 8 | पैरा 18(ग) | अनिर्णीत |
| 9 | पैरा 18(झ) | अनिर्णीत |
| 10 | पैरा 20(ग)(1) | अनिर्णीत |
| 11 | पैरा 20 (छ) (क्रम संख्या 1,2,3,8 को छोड़कर) | अनिर्णीत |

**(ञ) <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/98 से 3/99</u>**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 8(ए) | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा 8(बी) | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा 13 | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा 14 | अनिर्णीत |
| 5 | पैरा 17 | अनिर्णीत |
| 6 | पैरा 19 (क्रम संख्या 11,13,15) | अनिर्णीत |
| 7 | पैरा 24 (ग) | अनिर्णीत |

**(ट) <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/99 से 15.01.2001</u>**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 3 | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा 10 | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा 13 (ग) | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा 13 (घ) | अनिर्णीत |
| 5 | पैरा 13 (ङ) | अनिर्णीत |
| 6 | पैरा 13 (छ) | अनिर्णीत |
| 7 | पैरा 13(ज,झ,ञ,ट,ठ,ड,त,थ,द,ध) | अनिर्णीत |
| 8 | पैरा 14(2,3,4) | अनिर्णीत |